खण्ड-295, अंक-1
सोमवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1893
(20 मार्च, 1972 ई0)

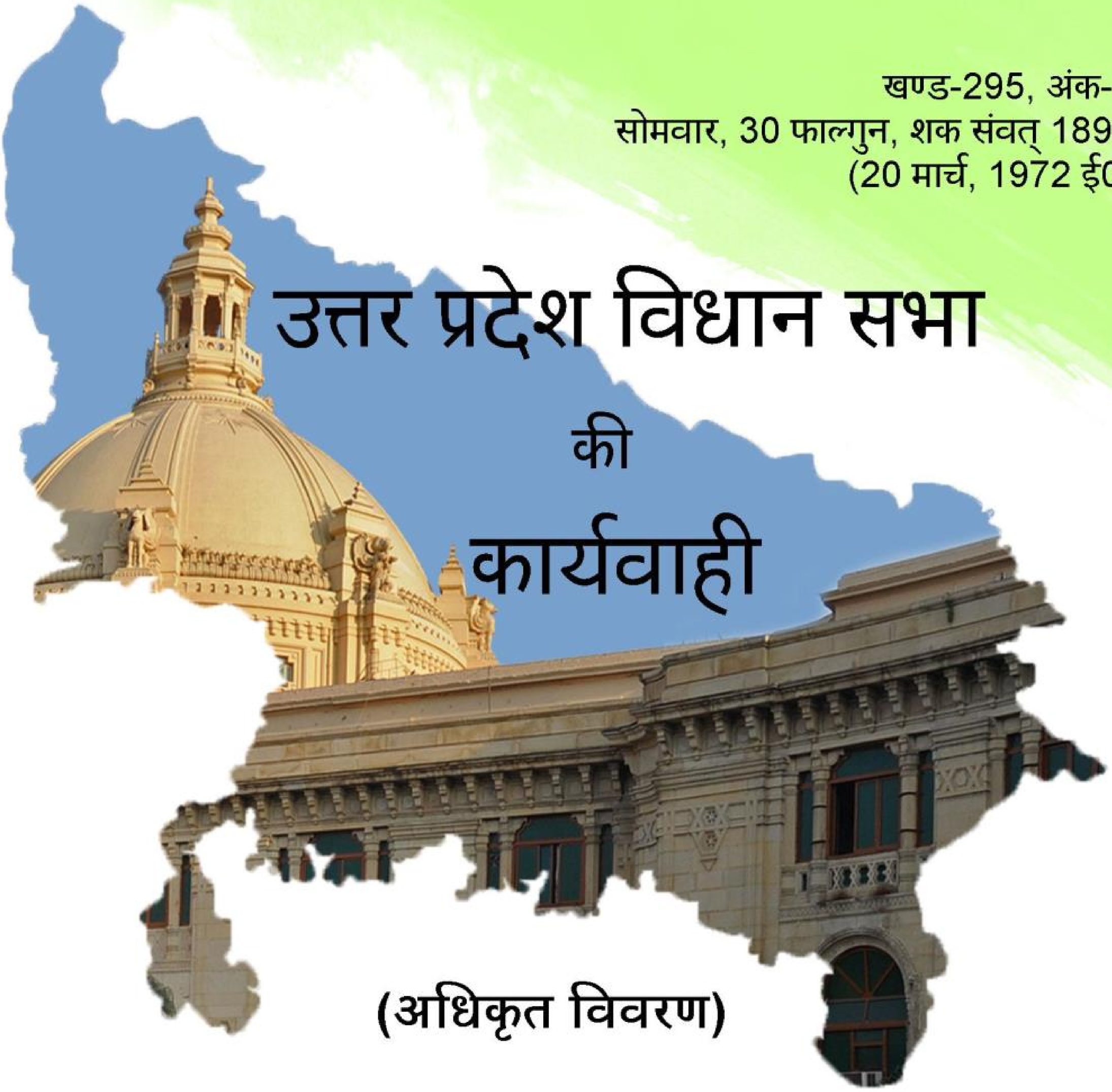

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—5
श्री राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां न मिलने की शिकायत	5—6
श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	6
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के दिन अन्य विधायी तथा आय-व्ययक सम्बन्धी कार्य करने पर आपत्ति	6—8
1971-72 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	9
1972-73 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	9—36
1972-73 का लेखानुदान (प्रस्तुत किये गये)	36
सदन की बैठक न बुलाकर अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	37
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1971 (सदन के पटल पर रखा गया)	37
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	37
उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	37
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	37
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	38
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका शिक्षा सेवा नियमावली, 1971 (सदन के पटल पर रखी गयी)	38
प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972 (सदन के पटल पर रखी गई)	39

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	39
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	39
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	39
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	40
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा	40
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	40
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	40
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	40—41
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा	41
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	41
उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	41
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) बिधेयक 1972 (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	41
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	42
सदन के कार्यक्रम में किये गये परिवर्तन के सम्बन्ध मे सूचना	42
कतिपय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	42—43
नस्थियां	43—49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 3 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--388

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, खां
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी , श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर तिवारी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरपल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, कृष्ण श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियवर्शी जटली, श्री

प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री

रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलख सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही श्री
रामशिरोमणि दुबे श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह, खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री

शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, चौधरी
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां न मिलने की शिकायत

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के कुछ अंश पढ़ कर सुनाता हूं...

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

अभिभाषण की प्रतियां अभी हमको नहीं मिली हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अभिभाषण की प्रति तो आपके भाषण पढ़ने से पूर्व मिल जानी चाहिये थी

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय का आर्डर यह है कि उनके अभिभाषण के पश्चात् ही उनका अभिभाषण बांटा जाय। वह बट चुका है। जिन माननीय सदस्यों को नहीं मिला है वे उसे प्राप्त कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यहां विधान सभा में आपका आदेश चलेगा या राज्यपाल महोदय का ?

श्री अध्यक्ष—

उस समय वही प्रीसाइड कर रहे थे। उनका आदेश यह है कि उनके अभिभाषण के बाद ही प्रतियां बांटी जायं। इस पर अब आप बहस नहीं कर सकते।

श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

मैं† अभिभाषण के कुछ अंश आपको सुनाता हूं। इस वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर आपको. . . . सर्वोपरि रखेंगे। जय हिन्द।

यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का अन्तिम भाग है। यह भाषण जिसे न मिला हो उसको यह बटवा दिया जाए।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह हम लोगों में से किसी को भी नहीं मिला है। इसको सभी को आप बंटवा दें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के दिन अन्य विधायी तथा आय-व्ययक सम्बन्धी कार्य करने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

बजट की एक प्रथा यह है कि यह इस सदन और विधान परिषद् दोनों में एक साथ प्रस्तुत होना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि परिषद् में पहले हो जाए और यहां बाद में हो। लेकिन जो एजेण्डा है, जिसमें मैंने देखा—16वां, 17वां और 18वां आईटम आप देखें। 16, अनुपूरक अनुदान है, 17 आय व्ययक का बजट है और 18वां लेखानुदान है। परिस्थिति यह है कि यह चीजें पहले हो जाएंगी परिषद् में, क्योंकि विधान परिषद् ढाई बजे से बैठ रही है। उनके पास और मिस्लेनियस कार्यक्रम हैं। उनका यह काम हो जाएगा और बाद में बजट शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर तय करता हूं कि पहले मंत्री जी अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद बजट प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। शेष कार्य जो दूसरे आईटम्स—घोषणाएं आदि हैं बाद में पढ़ी जाएंगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियम 19 की ओर ले जाऊंगा। नियम 19 में है—विधान मण्डल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा, वह प्रक्रिया समाप्त हुई। इसके बाद नियम 19 (2) में है—"राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़ कर सुना सकेंगे," यह प्रक्रिया भी समाप्त हुई। उसके बाद तीसरा यह है—"अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा :

---

† (श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 44 पर)

परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नियत होते हुये भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व, अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा। व्याख्या—विधेयक के पुरःस्थापन का प्रस्ताव औपचारिक कार्य है।"

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इसमें इस समय किसी भी प्रकार नियमों के अधीन कोई भी विधायी कार्य नहीं किया जा सकता है और न बजट पेश किया जा सकता है। क्योंकि केवल विधेयक पेश करना ही औपचारिक कार्य है, अन्य कोई कार्य औपचारिक कार्य नहीं होगा—जैसा कि इसमें है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एजेण्डा में जो मद नं० 16, 17 व 18 हैं, इन्हें इस समय स्थगित किया जाए, इसे सदन में आज पेश करने की इजाजत न दी जाए। इसके पीछे एक और भी कारण है कि आज एजेण्डे पर काम रोको–प्रस्ताव या विशेषाधिकार की अवहेलना आदि के प्रश्न नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि आज केवल वही कार्य हो सकता है जो राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित हो। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एजेण्डे से आईटम नं० 16, 17 तथा 18 को निकाल दिया जाएं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये इसमें 'व्याख्या' में लिखा है—"विधेयक के पुरःस्थापन का प्रस्ताव औपचारिक कार्य है।" यानी पुरःस्थापन हो सकता है विधेयक का।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वित्तीय कार्य नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं है। कहां है?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसीलिए साफ हो जाता है कि कोई कार्य सिवा विधेयक के पुरःस्थापन के नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

"परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नियत होते हुए भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व, अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा।"

श्री कल्पनाथ सिंह—

औपचारिक कार्य तब किया जायगा जब कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय नियत हो। आज कोई कार्य ही नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह बिल्कुल सवाल है। नियमों की जो शब्दावली है इसको आप देखें। आज श्री राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। आपने अभिभाषण को पढ़ कर सुना दिया। इसके बाद अगर कोई काम होना है तो इस नियम 19 (3) के अन्तर्गत "अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा"। अब कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है सिवा इसके कि चार दिन इस को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता । मैं इसका अर्थ लगाता हूं कि दो-चार दिन के बाद भी राज्यपाल क अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय नियत हो सकता है, और हमेशा ऐसा होता रहा ह, जो प्रथा रही ह वह यह कि दो-चार रोज के बाद चर्चा के लिये समय नियत करते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जहां तक प्रथा का सवाल है, इस प्रथा पर भी एक बार प्रश्न उठा है। तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री त्रिलोकी सिंह ने यह सवाल उठाया था, श्री देवनारायण भारतीय ने सवाल उठाया, उस समय जो सदन की मौजूदा नियमावली है वह नहीं थी। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस समय जिस समय अध्यक्ष ने कहा था....

श्री अध्यक्ष—

देखिए पहले अजेंडा पढ़ें—21 मंगलवार...श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। कार्य-मंत्रणा समिति ने यह तय किया कि 21 तारीख को न हो, बल्कि एक साथ 4 दिन ही लगातार चर्चा हो जिस समय यह शुरू हो। कल तय हुआ ह। 28 मार्च से लेकर...

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप तो चर्चा की बात करने लगे। मेरा कहना यह है कि चर्चा के लिए चार दिन नियत होंगे, नेता सदन के परामर्श से। लेकिन नियम 19 (3) के अन्तर्गत केवल एक काम होगा। वह होगा, नेता सदन के परामर्श से जो चार दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नियत होंगे उनमें चर्चा की जायगी और जिन दिनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी उन दिनों में कोई कार्य नहीं होगा सिवा इस कार्य के जो विधेयक पुरःस्थापित करना हो वह कार्य किया जायगा। यह औपचारिक काय ह।

श्री अध्यक्ष—

चार रोज के बाद तय करते हैं तो चार रोज खाली थोड़े ही जायंगे। नेता सदन की राय लेकर अध्यक्ष नियत करेंगे, तो नियत किया है हमने समय। यहां पर कार्य-मंत्रणा समिति भी है उसन भी विचार किया और यह तय किया कि यह 28 माच से शुरू होगा, 21 माच से मत शुरू करो। 24 माच को असेम्बली की बठक नहीं होगी। लिहाजा 21 मार्च को दूसरा काम दिया गया, जो 22 माच को काम दिया ह वह 21 मार्च को होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप नियमों के अन्तर्गत ही फैसला दे सकते हैं। जो तय हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ है कि 22 माच का काम 21 मार्च को लेना चाहिए। 22 मार्च को छुट्टी देनी चाहिए और 24 माच को छुट्टी देनी चाहिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कार्य-मंत्रणा समिति नियमों के ऊपर नहीं है। नियमों के अन्तर्गत फसला होगा। नियम 19 को आप फिर से पढ़ लें मेरी दरख्वास्त है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

बिना नियम के काम आप न करवायें।

1971–72 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1971–72 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

1972–73 का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय 1972–73 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने कामरोको प्रस्ताव आपके सचिवालय को भेजे थे लेकिन एजेण्डे पर उसको नहीं लिया गया और आपने माननीय वित्त मंत्री को बजट भाषण पेश करने की आज्ञा दे दी है। यह नियमों के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, यह नियमों के अनुसार है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

बजट भाषण की कापियां भी नहीं बटवाई गई हैं और बजट भाषण पेश किया जा रहा है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अनियमित कार्य आप न करवायें। प्रतिलिपि हमको भी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

बजट भाषण की प्रतियां पहले बटवा दी जायं।

(बजट भाषण की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष जी, आज महामहिम राज्यपाल के भाषण की प्रतियां पाने में जो कष्ट उठाना पड़ा है उससे हमें बहुत खेद है। पहले तो ऐसा होता था कि समाचार-पत्र वालों को भी प्रतियां मिल जाया करती थीं और अबकी बार तो उन्हें भी उनके भाषण की प्रतियां नहीं मिली हैं। यदि आप इस पर भी अंकुश नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना सही है।

एक सदस्य—

हमें अभी प्रतियां नहीं मिली हैं.....

श्री अध्यक्ष—

अब सभी के पास पहुंच गई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1972–73 का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इस अवसर पर वर्ष की महान् ऐतिहासिक घटना सहज में ही स्मरण हो जाती है। हमारे देश द्वारा संसार के इतिहास में पहली बार बंगला देश के करोड़ों नागरिकों को घोर यातनाओं और अत्याचारों से मुक्ति का पुनीत एवं गौरवमय कार्य किया गया। "परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम" का आह्वान था। इस महीने की 12 तारीख को ढाका में विदायी परेड के समय शेख मुजीबुर्रहमान ने साढ़े सात करोड़ जनता की ओर से भारतीय सेना के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने एक नये इतिहास का सूत्रपात किया जबकि तृषित जनता की आर्त पुकार सुनकर बंगला देश को मदद दी गयी। शेख साहब ने कहा कि यह घटना स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेंगी। हमारी सेना के जवानों और अफसरों ने जो रण कौशल, बहादुरी और सूझबूझ दिखायी है उससे हम सब गौरवान्वित हैं। ऐसी चुनौती के समय देश व प्रदेश की जनता ने जिस राष्ट्रीय एकता, दृढ़ संकल्प और त्याग की भावना का परिचय दिया वह भी अभूतपूर्व रहा है और हमारे उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है। प्रदेश की जनता ने केन्द्रीय अधिभारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए 5.29 करोड़ रु० व भारी मात्रा में अन्य सामग्री देकर अपना योगदान दिया। यह सिद्ध हो चुका है कि संकट की घड़ी में भारत का प्रत्येक जन भेदभाव भुलाकर एक सूत्र में बंधकर चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता और संकल्प रखता है। शायद इतिहास का घटना चक्र कोई दूसरा मोड़ नहीं ले सकता था क्योंकि वास्तव में जो कुछ हुआ वह हमारे महान राष्ट्रीय आदर्शों की ही परख और पुकार थी। सत्य की विजय निश्चित थी। इस विजयोल्लास के क्षण में हमें अपने प्रधान मन्त्री जी की चेतावनी को भी लगातार स्मरण रखना है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, उनसे सावधान रहना है और राष्ट्रीय प्रयत्नों में जरा सी भी शिथिलता नहीं आने देनी है।

माननीय सदस्यों की ऐसी सामान्य इच्छा का आभास हुआ कि सदन का बजट सत्र, कुछ राज्यों के सामान्य निर्वाचन तथा इस राज्य के उप-निर्वाचनों के पश्चात् प्रारम्भ किया जाय। अतः यह सत्र इससे पूर्व नहीं बुलाया जा सका। यह बजट एक सम्पूर्ण बजट है, जिसमें व्यय की नयी मदें भी सम्मिलित हैं। सदन को इस बजट पर विवाद एवं इसके पारित करने में समय लगेगा। इस कारण संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं एवं योजनाओं पर व्यय के लिए डेढ़ महीने के लेखानुदान की स्वीकृति भी प्राप्त की जा रही है।

पिछले बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते समय मैंने, संसद के आम चुनावों में जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्य-क्रमों एवं प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रगतिशील नेतृत्व को दिये गये भारी समर्थन का जिक्र अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग करने की दृष्टि से किया था। हाल के विभिन्न प्रदेशों में हुये विधान सभाओं के चुनावों में और प्रदेश के उप चुनावों में जनता ने पुनः कांग्रेस पार्टी की प्रगतिशील नीतियों और प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व को अपना अभूतपूर्व समर्थन प्रदान किया है। ऐसे अवसर पर परम विनम्र भाव से मैं प्रदेश की सरकार की ओर से जनता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से यह सरकार जन-कल्याण के कार्य में निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी।

जहां एक तरफ बंगला देश की स्वतन्त्रता एवं पाकिस्तान पर विजय ऐसी इतिहास को मोड़ देने वाली घटनाएं हुयीं वहां हमारे प्रदेश में इस वर्ष कुछ दैवी विपत्तियों का प्रकोप भी उल्लेखनीय है। हमारे प्रदेश में पहले तो अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ और उसके बाद

54 जिलों में से 51 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये जिससे बहुत अधिक हानि हुई। जनता ने बड़े साहस से इन दैवी आपदाओं का सामना किया और शासन ने भी यथासम्भव सहायता पहुंचायी। इनके बारे में मैं कुछ आगे चलकर भी उल्लेख करूंगा।

अपने पिछले बजट भाषण में मैंने उल्लेख किया था कि बजट साहित्य में यथासम्भव सुधार करने के विचार से भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके कतिपय सुझाव संकलित किये गये हैं। उस बजट भाषण में नयी मदों, सार्वजनिक और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों, सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने और राज्य आयोजनागत और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को प्रदर्शित करने की रीति के सम्बन्ध में मैंने चार सुझावों का विशिष्टतया जिक्र किया था।

नयी मदों के सम्बन्ध में विभागों के अनुसार सूची बनाये जाने का सुझाव था, जिस से किसी योजना पर होने वाला राजस्व व्यय, पूंजी व्यय तथा ऋण सम्बन्धी व्यय एक ही स्थान पर दिखाया जाए जिस के फलस्वरूप किसी योजना विशेष पर होने वाले व्यय की सूचना एक ही स्थान पर और विभागवार उपलब्ध हो सके। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उस में नयी मदों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभागों के बजट अनुमान अलग खण्डों में छपाये जाने पर विचार किया गया परन्तु उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आयीं। अतः उन विभागों के बजट अनुमान अलग खण्डों में नहीं छपाये जा रहे हैं। परन्तु उपरोक्त विभागों के अधिकांश योजनाओं के सम्बन्ध में "प्रोग्रेसिव" व्यय के आंकड़े इस बार दिखाये जा रहे हैं। आशा है कि यह अतिरिक्त सूचना उपयोगी सिद्ध होगी।

राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अनुमान, मुख्य (मेजर) और लघु (माइनर) हेडों के सन्दर्भ में, पृथक रूप से इस बजट में दिखाये जा रहे हैं। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर व्यय यद्यपि आयोजनागत शीर्षक के नामे डाला जाता है परन्तु उन पर व्यय राज्य की निर्धारित वार्षिक आयोजना परिव्यय के बाहर होता है। अतः उपरोक्त नये प्रकार का वर्गीकरण व्यावहारिक रूप से उपयोगी होगा।

भारत सरकार की एक टीम बजट शीर्षकों के अभिनवीकरण पर इस उद्देश्य से विचार कर रही है कि नया शीर्षक वर्गीकरण शासन के कार्यकलापों को अधिक उपयोगी ढंग से प्रदर्शित करे। हमारा प्रयत्न है कि इस वर्गीकरण को शीघ्र लागू किया जा सके, लेकिन ऐसा सुधार अखिल भारतीय आधार पर ही सम्भव है। 1971–72 के पांच विभागों के कार्यपूर्ति दर्शक (परफार्मेन्स) बजट प्रस्तुत किये गये थे। इस नयी प्रणाली में तकनीकी बारीकियां निहित हैं। इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा कुछ महीने पूर्व लखनऊ में हमारे कुछ विभागों के अधिकारियों के लिए लगभग दस दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस दफा उपरोक्त पांच विभागों के अलावा एक और विभाग का परफोर्मेन्स बजट प्रस्तुत करने का विचार है।

जैसा कि पहले भी संकेत किया गया था सरकार ने पुराने मैनुअलों, फाइनेन्शियल हैन्ड-बुकों और सर्विस नियमों के पुनरीक्षण एवं प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया है ताकि वित्तीय नियम विकास एवं प्रशासन की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। इस कार्य में बराबर प्रगति हो रही है।

पेन्शनों के स्वयमेव राशिकरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पेन्शन राशिकरण नियम का प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर महालेखाकार के विचार प्राप्त कर लिये गये हैं और इस नियमावली को शीघ्र ही अन्तिम रूप देना सम्भव हो सकेगा। अधीनस्थ सेवाओं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

से सम्बन्धित 11 सेवाओं की सेवा नियमावलियों में अधिकांश को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अन्य नियमावलियों पर लोक सेवा आयोग, नियुक्ति विभाग या अन्य विभागों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने "पर्सनल लेजर एकाउन्ट" खोले जाने के बारे में एक महत्व-पूर्ण संस्तुति की थी, जो कि विचाराधीन थी। उसे मानते हुये शासन ने भारत सरकार के तत्सम्बन्धी नियम के अनुरूप अपने यहां भी एक नियम बना लिया है जिसके अनुसार उन विभागों में जहां कि लेन-देन की मात्रा अधिक हो और जहां उसकी विशेष आवश्यकता समझी जाय वहां संहत निधि के नाम डाल कर पर्सनल लेजर एकाउन्ट खोले जा सकते हैं जो कि वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त कर दिय जायेंगे और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे वित्तीय वर्ष में पुनः खोले जा सकेंगे।

राज्य की आय

वर्ष 1960–61 के मूल्यों के अनुसार उक्त वर्ष में राज्य का शुद्ध आन्तरिक उत्पादन 1,799 करोड़ रुपया था। उसी वर्ष के मूल्यों के आधार पर 1960–70 के दशक के दौरान राज्य की अर्थ व्यवस्था में 2.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 1971–72 की रबी के उत्पादन के आंकड़े फसल की प्रयोगात्मक कटाई के आधार पर अभी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। उपलब्ध संकेतों के आधार पर वर्ष 1971–72 के लिए तैयार किये गये त्वरित अनुमानों से राज्य की आय 2,360 करोड़ रु० होने की सम्भावना है। प्रश्नगत वर्ष में अन्न के उत्पादन में अति-वृष्टि और बाढ़ का जो प्रभाव पड़ा है उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। गन्ने के उत्पादन पर भी असर पड़ा जिसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में भी कमी हुई। यद्यपि असंगठित क्षेत्र के लघु उद्योगों में वृद्धि होने के संकेत हैं, परन्तु ऐसा अनुमान है कि यह वृद्धि संगठित क्षेत्र के उत्पादन की कमी को पूरा करने में समर्थ न हो सकेगी। वर्ष 1960–61 के मूल्यों के आधार पर चौथी योजना के आधारिक वर्ष 1968–69 की 256 रु० की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 1971–72 की प्रति व्यक्ति की आय 265 रु० हो जाने का अनुमान है।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न अंगों में आर्थिक कार्य-कलाप के प्रसार से भी आर्थिक दशा का पता चलता है। 1960–61 में जहां राज्य की कुल आय में कृषि का अंशदान 60.9 प्रतिशत था वहां 1971–72 में इसके 56.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसी अवधि में खनिकर्म, उद्योग एवं निर्माण से राज्य की होने वाली आय 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 11.1 और वाणिज्य तथा व्यापार से होने वाली आय 12.3 से बढ़कर 14.7 हो जाने का अनुमान है। आमतौर पर यह माना जाता है कि केवल कृषि पर ही आर्थिक निर्भरता जिस हद तक कम होती है उससे आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलती है। अभी कहे गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के अकृषीय क्षेत्रों में प्रगति की दर कृषीय क्षेत्रों में प्रगति की दर से कुछ अधिक रही और इस प्रकार प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि पर जो निर्भरता है उस में कुछ कमी होन के संकेत मिल रहे हैं।

वार्षिक योजना 1972–73

सदन को मालूम ही है कि अनेकानेक बाधाओं के रहते हुये भी प्रदेश की चौथी योजना का आकार अब 965 करोड़ रु० से बढ़ कर 1038 करोड़ रु० हो गया है।

1972–73 की वार्षिक योजना के बारे में जो प्रारम्भिक वार्ता योजना आयोग से हुई थी उस के अनुसार इसका आकार लगभग 209 करोड़ रु० के आता था। चालू वर्ष 1971–72 में माननीय सदन ने विकास योजनाओं के लिए वार्षिक योजना के अन्तर्गत 218 करोड़ रु० की स्वीकृति दी थी। अगर अगल वर्ष की योजना 209 करोड़ रु० ही रक्खी जाती तो

यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति हुई होती और विकास की गति अवरुद्ध हो गयी होती। यह सन्तोष का विषय है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य मन्त्री जी के बीच जो विचार-विमर्श हुआ उसके फलस्वरूप अगली वार्षिक योजना का आकार 225.28 करोड़ रु० निर्धारित करना सम्भव हो सका। इसके जो कुछ उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में मैं आगे निवेदन करूंगा। उपरोक्त 225.28 करोड़ रु० के परिव्यय में कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम के लिए 41 करोड़ रु०, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास तथा पंचायत के लिए 5.46 करोड़ रु०, सिंचाई एवं विद्युत के लिए 112.20 करोड़ रु०, उद्योग एवं खनिकर्म के लिए 7.36 करोड़ रु०, सड़क एवं परिवहन के लिए 15.59 करोड़ रु०, समाज सेवाओं के लिए 39 करोड़ रु० और विविध मदों के लिए 4.67 करोड़ रु० शामिल है।

इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में चालू वर्ष के परिव्यय की तुलना में अगल वर्ष के परिव्यय में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की गयी है। चालू वर्ष में सड़कों के लिए 949.98 लाख रु० का प्राविधान है जब कि अगले वर्ष 1343.00 लाख रु० का प्रस्ताव है। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा का परिव्यय चालू वर्ष के 1164.23 लाख रु० की तुलना में अगले वर्ष 1367.00 लाख रु० किया गया है। जन स्वास्थ्य के लिए 647.13 लाख रु० का प्राविधान था जब कि अगले वर्ष इसे 856.00 लाख रु० करने का प्रस्ताव है। हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए चालू वर्ष में 121.19 लाख रु० का प्राविधान था जब कि अगले वर्ष 205.00 लाख रु० करने का प्रस्ताव है। समाज सेवा की इन मदों में बढ़ोत्तरी से मुझे विश्वास है, माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा।

उल्लेखनीय प्रस्ताव

हर सरकार अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए बजट में नयी-नयी बातों का समावेश करती है। जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला, अन्य बातों क अतिरिक्त यह प्रयास रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति हो और समाज के कमजोर वर्गों को हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाये। यह भी प्रयत्न रहा है कि ऐसे संगठनात्मक परिवर्तन किये जायें जिस से आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बल मिल सके।

पिछले वर्ष मैंने नियोजित प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, उपयोगी एवं दक्ष बनाने के लिए "उत्तर प्रदेश नियोजन संस्थान" (प्लानिंग इन्स्टीट्यूट) की स्थापना का प्रस्ताव किया था। सदन को जानकर अब प्रसन्नता होगी कि यह संस्थान अब स्थापित हो चुका है और इस में अनुभाग स्थापित किये गये हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में चालू योजनाओं एवं दीर्घकालीन योजनाओं को प्रदेश प्लानिंग बोर्ड की देख-रेख में नियोजित एवं समन्वित करेंगे। विचार-पुंज (ब्रेन्स ट्रस्ट) के रूप में स्थापित इस प्लानिंग इन्स्टीट्यूट को उच्चतम स्तर पर सलाह देने के लिए दो प्रभावकारी सलाहकार समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया है। पहली कौन्सिल आर्थिक एवं वित्त तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रश्नों एवं समस्याओं पर सलाह देगी और इस में अखिल भारतीय स्तर के ख्याति प्राप्त अर्थ शास्त्री सदस्य होंगे, जिनके विचारों से प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया को इस समिति के माध्यम से स्थायी रूप से सम्बद्ध करना सम्भव हो सकेगा। दूसरी समिति साइन्स, उद्योग और टेक्नालोजी के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को सलाह देगी ताकि एक आधुनिक प्रगतिशील राज्य के विकास को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार देने के लिए उच्च स्तरीय सलाह प्राप्त हो सके। समिति के सदस्यों के चयन में प्लानिंग कमीशन की भी राय ली जायगी।

सदन को ज्ञात है कि केन्द्र निकट भविष्य में चौथी योजना को पुनरीक्षित करने का विचार कर रही है। ऐसा होने पर हमारा यह प्रयास होगा कि प्रदेश की योजना का आकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण, विद्युत् उत्पादन और ग्रामीण विद्युतीकरण, पिछड़े क्षेत्रों व वर्गों के आर्थिक विकास की योजनाओं में वृद्धि व बेरोजगारी दूर करने की दिशाओं में बढ़ कर 1,100 करोड़ तक पहुंच जाये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यद्यपि क्षेत्रीय निगमों के बनाने के निर्णय पहली सरकारों द्वारा लिये गये थे लेकिन उनको संगठित करने का उत्तरदायित्व वर्तमान सरकार पर पड़ा। यह भी महसूस किया गया कि क्षेत्रीय संगठनों के अतिरिक्त "फंक्शनल कारपोरेशन्स" (कार्यक्रम विशेष के लिए निगम) भी बनाना आवश्यक है ताकि प्रथम तो संस्थागत वित्तीय साधनों का लाभ उठाया जा सके और दूसरे व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य किया जा सके। इसी दृष्टिकोण से इस वर्ष प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिक अप), क्षेत्रीय विकास निगम, उत्तर प्रदेश ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन, राज्य सीमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पुल निगम, वाटर सीवेज बोर्ड, उत्तर प्रदेश शूगर कारपोरेशन आदि का गठन किया जा रहा है। आवश्यकता होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक की सहमति से खाद्यान्नों को खरीदने के लिए, राज्य खाद्य निगम, ट्यूबवेल तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए माइनर इरिगेशन कारपोरेशन, विद्युत उत्पादन के लिए पावर जेनेरेशन कारपोरेशन या कम्पनियां गठित किये जाने का प्रस्ताव है।

इन सब पब्लिक सेक्टरों में स्थापित नयी कारपोरेशनों तथा पहले से ही गठित निगमों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए एक प्रभावकारी तथा व्यावसायिक प्रबन्ध में पारंगत सेवा की जरूरत होगी। अस्तु यह प्रस्ताव है कि "प्रदेश आर्थिक सेवा" (स्टेट एकनोमिक सर्विस) नामक एक नयी प्रादेशिक सेवा का गठन किया जाय जिस में व्यावसायिक प्रबन्ध, औद्योगिक प्रबन्ध तथा बैंकिंग एवं वाणिज्य आदि विषयों में विशेष ज्ञान तथा अनुभव वाले व्यक्तियों का चयन किया जायगा।

शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी को कम करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक विशेष प्रायोजना भारत सरकार एवं योजना आयोग के विचारार्थ भेजी है। आशा है कि इस पर शीघ्र निर्णय होगा। अगले वर्ष के अनुमानों से इस योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया है जिस से शिक्षित एवं तकनीकी बेरोजगारों को रोजी मिलेगी और साथ ही उत्पादन भी बढ़ सकेगा। बेकारी दूर करने की समस्त योजनाओं को एकाग्र व समन्वित आधार पर चलाने के लिए विशेष मशीनरी का गठन किया जायेगा।

तेंदू पत्ती जिस से बीड़ी बनायी जाती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मुख्यतः पायी जाती है। गत वर्ष तक तेंदू की पत्तियों को नीलाम द्वारा बेचन की प्रणाली थी जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को पूर्ण राजस्व प्राप्त नहीं होता था और ग्राम सभाओं तथा निजी उत्पादकों को उनकी भूमि पर उगने वाली तेंदू पत्तियों का उचित मूल्य ठेकेदारों द्वारा नहीं मिलता था। इसके अतिरिक्त मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। अतः तेंदू पत्तियों के व्यापार पर राज्य सरकार का एकाधिकार एक अध्यादेश द्वारा स्थापित किया गया है। नयी प्रणाली लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार की शुद्ध आय में, ग्राम सभाओं तथा निजी उत्पादकों को दिये जाने वाले भाग की धनराशि को घटाने के उपरान्त भी वृद्धि होगी। इसके अतिरक्त गांव सभाओं तथा निजी उत्पादकों को गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त होन की आशा है और मजदूरों को अधिक मजदूरी भी मिलेगी।

सैनिकों के कल्याण की अनेक योजनाएं भारत सरकार तो चला ही रही है लेकिन प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। भारत सरकार की मदद से "आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर" बनाने के लिए 10 लाख रु० का प्रतीक प्राविधान किया गया है। अपंग सैनिकों और शहीद सनिकों की विधवाओं के मकान हेतु जो योजना प्रारम्भ की गयी है उसे चालू रक्खा जायेगा। इस निमित्त 25 लाख रु० का प्राविधान अगल वर्ष के बजट में किया गया है।

हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के पवित्र कार्यों को और गति देनी है। उनके पानी पीने व आवास की समस्या को हल करने की ओर और अधिक सक्रिय कदम उठाने हैं। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से अप्रभावित स्वच्छ जल की उपलब्धि बढ़ाने के लिए दो करोड़ रुपये की विशेष धनराशि ग्रामीण हरिजन बस्तियों में कुएं (पहाड़ी क्षेत्रों में डिग्गी तथा नौला) निर्माण हेतु आबंटित की गयी है। हरिजनों को मकान बनाने हेतु 16.75 लाख रु० के अनुदान और 10 लाख रु० के ऋण देने की व्यवस्था बजट प्रस्तावों में की जा रही है।

सरकार ने इस वर्ष बेघर, हरिजनों, आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों को अपना घर बनाने के लिए भूमि आबंटन करने हेतु कानूनी अधिकार लिये, ताकि असिस्टेंट कलेक्टर किसी निश्चित श्रेणी की भूमि को इस कार्य हेतु सुरक्षित कर सकें। भारत सरकार की सहायता से इस वर्ष प्रदेश के 16 ब्लाकों में हरिजन बस्तियों के निर्माणार्थ स्थल व भूमि के विकास हेतु योजना बनायी गयी है। सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अगले वर्ष प्रत्येक जिले के कम से कम एक ब्लाक में बेघर हरिजनों के कम से कम 500 घर बनाने के लिए भूमि विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से एक करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव है। इस योजना में 27,000 (सत्ताइस हजार) बेघरों को घर बनाने के लिए विकसित भूमि उपलब्ध हो सकेगी। यह भी आशा है कि अगले वर्ष शहरी व ग्रामीण सम्पत्ति पर कानून द्वारा सीलिंग को सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के अधिक अनुरूप लागू करने के बाद बेघरों व भूमिहीनों को अधिक राहत मिल सकेगी। इस वर्ग के हेतु एक पायलट एग्रो इंडस्ट्रियल कालोनी भी कायम की जायेगी।

हरिजन बस्तियों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। किसी ग्राम की सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था तब तक पूरी नहीं मानी जायगी, जब तक कि उस गांव की हरिजन बस्ती में प्रकाश नहीं पहुंचता। हरिजन क्षेत्रों के लिए विद्युतीकरण योजनाएं 15 प्रतिशत रिटर्न के स्थान पर 8 (आठ) प्रतिशत रिटर्न के आधार पर बनायी जायेंगी।

सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। साधनों की कमी के कारण ज्यादा प्रभावी कदम नहीं उठाये जा सके हैं। विश्व के प्रगतिशील देशों में अधिक उम्र वाले नागरिकों के लिए विशेष आवास बनाये जाते हैं, जहां उनके स्वास्थ्य की देखरेख भी होती रहती है। अगले वर्ष से प्रदेश में वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम) कायम करने की योजना प्रारम्भ की जा रही है और इसके निमित्त 50 हजार रु० का प्राथमिक प्राविधान किया जा रहा है।

प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की अवस्था अत्यन्त सोचनीय है। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष जो सामान्य अनुदान दिया जाता रहा है वह अपर्याप्त रहा है। भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए जिला परिषदों को लगभग 5 करोड़ रु० के विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव है ताकि निर्माण के कार्यों में और गति लायी जा सके। अब तक एक प्राइमरी स्कूल को पांच हजार रुपया भवन निर्माण हेतु दिया जाता था जो अपर्याप्त था। अब इस धनराशि को बढ़ा कर 8,500 रुपया किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई भारी वर्षा व बाढ़ से ग्रामीण सड़क प्रणालियां अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयीं। पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से मिलाये जाने की आवश्यकता व तत्सम्बन्धी सरकारी नीति का उल्लेख किया था। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने इस वर्ष 8 (आठ) करोड़ रुपया केवल इस कार्य हेतु आवंटित किया है। इस धनराशि से क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनी सड़कों का सुदृढ़ीकरण अथवा छोटी ग्रामीण "एप्रोच" सड़कों के पक्के करने का प्राविधान अथवा सिंचाई विभाग की कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों को पक्का करना सम्भव हो सकेगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के अभिप्राय से एक ग्रामीण अभियन्त्रण संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नगरपालिकाओं की सड़कों की स्थिति भी बड़ी खराब है । इन्हें भी सड़कों के निर्माण के लिए 1 1/2 करोड़ रु० आवंटित किया जा रहा है ।

बसों पर यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुये और तत्सम्बन्धी भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिए नयी बसों को चलाने के लिए परमिट व्यवस्था को उदार बनाने का निर्णय लिया गया है । भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो पहले से बस का मालिक नहीं है और एक बस चलाना चाहता है, को निजी बसों के लिए सुरक्षित मार्गों पर बस चलाने के लिए परमिट अवश्य मिल जायेगा ।

अभी तक राज्य में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मूल सिद्धान्त यह रहा है कि केवल ऐसी योजनाओं की स्वीकृति दी जाये जो "बिना हानि बिना लाभ" सिद्धान्त पर चलायी जा सकें । इस सिद्धान्त से पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार करन में कठिनाई हुई है । अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि बुन्देलखंड, पूर्वी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी लिफ्ट सिंचाई योजनायें भी चलायीं जायें, जिसमें शासन को आरम्भ में कुछ हानि भी उठानी पड़े । पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुन्देलखंड के सूखाग्रस्त व पहाड़ी क्षेत्रों व पर्वतीय जिलों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का रिटर्न मानदण्ड 15 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है ।

जनहित में प्रदेश की व्यक्तिगत स्वामित्व वाली चीनी मिलों के अर्जन सम्बन्धी प्रदेश सरकार की नीति से यह सदन अवगत है । चालू वित्तीय वर्ष में इसी नीति के अन्तर्गत 12 चीनी मिलों को अर्जित करने तथा प्रदेश चीनी निगम को संक्रमित करने के अभिप्राय से अध्यादेश जारी किया गया । इस निगम ने इनमें से पांच मिलों को इस सीजन में सफलतापूर्वक चलाया और कुछ मिलों को पुरानी मशीनों को बदलने की दिशा में पहल की ।

अर्जन सम्बन्धी नीति के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण केस में निर्धारित मुआवजे सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर ग्राहित सम्पूर्ण मुआवजे का भार इतना अधिक सम्भावित था कि आवश्यक संसाधनों की कमी ही बाधक हो गयी थी । अब केन्द्रीय सरकार ने पच्चीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद् से पारित करा कर, एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । इस सदन ने तत्सम्बन्धी अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित कर दिया है, पर अभी कई राज्यों के सदनों में यह अनुसमर्थन विचाराधीन है । अनुसमर्थनोपरान्त उक्त संविधान संशोधन विधेयक के लागू होने पर यह आशा है कि भारत सरकार प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों को स्वीकार कर लेगी ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस वर्ष गन्ने व चीनी की पैदावार में कमी न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो गयी है । ऐसी स्थिति में भी चीनी और गन्ने के मूल्य के विषय में सरकार की नीति यह रही है कि एक ओर चीनी के उपभोक्ताओं को उनकी न्यूनतम आवश्यकता के लिए चीनी उचित दामों पर प्राप्त हो सके और दूसरी ओर काश्तकारों को गन्ने के सही मूल्य प्राप्त हो सकें । यद्यपि गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार ही निर्धारित करती है, फिर भी राज्य सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य दें और परिणामस्वरूप १० रु० से ११ १/२ रु० प्रति कुन्तल तक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है । आशा है कि इस कारण गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ेगा और अगले वर्ष के लिए काफी गन्ना उपलब्ध हो सकेगा । सरकार की गुड़ व खांडसारी नीति के परिणामस्वरूप गुड़ व खांडसारी उत्पादकों में भी किसान को अच्छे दाम दिये हैं ।

भविष्य के लिए यह भी प्रस्ताव है कि प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों या पुलों को बनाये जाने का विचार हो उनके डिटेल्ड एस्टिमेट विभाग द्वारा पहले ही बना

लिये जायें ताकि जो भी सड़क या पुल निर्माणार्थ स्वीकृत हों उनकी टेक्निकल सैंक्शन पहले ही हुई रहे तथा प्रारम्भिक प्राक्कलनों (प्रिलिमिनरी एस्टिमेट) की आवश्यकता ही न पड़े। बजट में सीधे डिटेल्ड एस्टिमेट के आधार पर निर्धारित धनराशि का प्राविधान किया जाय और बजट मंजूर होते ही तुरन्त प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर सड़कों या पुलों पर काम शुरू हो जाय। भूमि अध्याप्ति (लैण्ड ऐक्वीजीशन) सम्बन्धी देरी को भी कम करने के लिए उपाय किये जायेंगे।

निर्माण सम्बन्धी विचाराधीन अनुमानों की स्वीकृति प्रक्रिया इस प्रकार पुनरीक्षित की जायेगी कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, टेकनिकल स्वीकृति आदि में लगने वाला समय घटाया जा सके कि जिससे एक ओर निर्माण शुरू होने में विलम्ब न हो तथा दूसरी ओर वित्तीय नियंत्रण में बाधा न पड़े।

प्रशासकीय स्वीकृति आदि निर्णयों में शीघ्रता लाने के लिए वित्त सचिव, निर्माण सचिव व संबंधित विभागीय निर्माण-कार्य से सम्बद्ध सचिव या उप सचिव तथा विभागाध्यक्षों की स्थायी समितियां बनायी जायेंगी जो प्रस्तावित निर्माण-कार्यों की पूरी सूची लेकर, बैठकों में ही आपत्तियों पर विचार कर स्वीकृति दे दिया करेंगी। इस प्रणाली से जहां एक ओर प्रत्येक योजना पर अलग-अलग विचार हो सकेगा, वहां पत्रावलियों के महीनों घूमने में प्रयुक्त समय की बचत भी होगी।

इस बात को देखते हुये कि निर्माण विभागों में अनेक बार निर्माण-कार्य प्रशासकीय स्वीकृति से लेकर टेकनिकल सैंक्शन तक प्राप्त हो जाने के बाद भी अरसे तक शुरू नहीं हो पाते, यह निर्णय लिया गया है कि इस स्थिति का परिहार करने के लिए अधिकाधिक निर्माण-कार्य विभागीय आधार पर सम्पन्न किये जायें न कि ठेकों के आधार पर। इस प्रकार अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

विभिन्न विभागों में भवन निर्माण कार्यों में होने वाली देरी को रोकने के लिए भवन निर्माण-कार्य को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ही एक अलग शाखा के अधीन किया जायेगा, जिसका काम केवल "भवन निर्माण" होगा।

यह भी निश्चित हुआ है कि अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए उनकी कार्य-प्रगति का विश्व विख्यात "पर्ट प्रणाली" के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा और इस के सभी चार्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे।

निर्माण के मुख्य साधनों, जैसे ईंट, सीमेंट, पत्थर, बजरी, लोहा, रोड रोलर आदि उपकरणों की आवश्यकताओं को पूर्व नियोजित कर लिया जायगा तथा उसकी ऐडवांस व्यवस्था की जायगी।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के समान अधिक संगठित करना सभी दृष्टिकोण से वांछनीय है। इस हेतु सहकारी विभाग ने यह संकल्प किया है कि सभी स्तरों पर सहकारी समितियों व बैंकों को अधिक शक्तिशाली तथा गतिशील बनाया जाय। यह निर्णय सिद्धान्ततः ले लिया गया है कि आगामी २, ३ वर्षों में खाद वितरण के समस्त कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही सम्पन्न होंगे। सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से, सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए अंश पूंजी में विनियोजन करने हेतु ऋण उपलब्ध करने के आशय से ६ करोड़ रु० तथा उर्वरक क्रय करने के लिए सीमान्त राशि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु २ करोड़ रु० की व्यवस्था १९७२-७३ के बजट अनुमान में की गयी है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह भी प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक व जिला कोआपरेटिव बैंकों द्वारा इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से एक वर्ष के अन्दर 100 करोड़ रुपया जमा करने का एक विशेष अभियान चलाया जाय और यह प्रयास किया जाय कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और जिला कोआपरेटिव सहकारी बैंक अपने डिपाजिट बढ़ा कर प्रदेश के विकास में अधिक योगदान दे सकें। मेरा सम्मानित सदस्यों से यह अनुरोध होगा कि वह सहकारी विभाग के बचत बढ़ाने के इस विशेष अभियान में प्रदेश के हित में पूरा योगदान करें।

प्रदेश के चिकित्सालयों में रोगियों की दवा पर अभी तक प्रति व्यक्ति 69 पैसा खर्च हो रहा था। यह सचमुच बहुत कम था। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रति रोगी कम से कम 1 रु० प्रति वर्ष के हिसाब से प्राविधान किया जाय और इसी के अनुसार इस वर्ष में 49 लाख रुपये की अधिक धनराशि स्वीकृत की गयी। इस की दवायें खरीद ली गयी हैं। अगले वर्ष में यह प्राविधान 83 लाख रुपया कर दिया गया है।

सरकार अपने राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की समस्याओं के यथाशक्ति तत्परतापूर्ण हल के लिय चेष्टाशील है। संसाधनों संबंधी भारी कठिनाइयों के रहते हुये भी वर्तमान वित्तीय वर्ष म लगभग 24 करोड़ रुपये की अन्तरिम राहत स्वीकार की गयी। वेतन आयोग अपना कार्य गतिशीलता के साथ सम्पन्न कर रहा है, और आशा की जाती है कि वह जुलाई, 1972 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से अपना यह आग्रह जारी रखेगी कि केन्द्र और प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में समानता लाने के लिये केन्द्रीय सरकार आवश्यक सहायता दे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य सरकार द्वारा दी गई दो अन्तरिम वृद्धियों के अनुरूप प्रदेश के लगभग 12 लाख राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचा। वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार ने अब यह भी निश्चय किया है कि मार्च 1, 1972 से इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अन्तरिम सहायता के पहले किश्त में जो कमी रह गई थी उसे भी पूरी कर दी जाए। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर पूरे वर्ष के लिये 15.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय-भार पड़ेगा। इस प्रकार कुल दी गयी अन्तरिम सहायता का पूरा वार्षिक भार बढ़कर 38.80 करोड़ रुपय हो जायगा और इन सभी कर्मचारियों को उक्त तिथि से विभिन्न वेतन वर्गों में उसी दर से अन्तरिम सहायता मिलने लगेगी जिस दर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलती है।

उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट, लखनऊ में कुछ समय पहिले व्हिटले प्रणाली के आधार पर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए परिसंवाद मशीनरी का गठन किया गया। आगामी वर्ष व्हिटले कौंसिल मशीनरी को अधिक प्रभावशाली रूप से चलाने व कुछ विभागों में भी इस मशीनरी को कायम करने का विचार है। ब्रिटेन में असाधारण रूप से सफल इस प्रणाली का प्रयोग हमारी प्रदेश सरकार को अभिन्न अंग के रूप में अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति आश्वस्त कर सकेगा, ऐसी आशा है।

लोगों की ऐसी शिकायत रही है कि वर्तमान मालगुजारी की दरों में भारी विषमता है। यह आवश्यक है कि मालगुजारी का भार भूमि की किस्म और उससे आशा की जाने वाली आय के आधार पर निश्चित की जावे जिससे सभी लोगों पर उसका भार समान रूप से पड़ सके और हस्तान्तरण, अध्याप्ति इत्यादि के समय उसका सही मूल्यांकन भी हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके नये बन्दोबस्त कराने का विचार है।

ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण निकायों की आर्थिक स्थिति बड़ी चिन्तनीय है। बहुत से

आयोजनागत कार्य इस कारण सम्पन्न नहीं हो पाते कि यह स्थानीय निकाय अपना योगदान नहीं कर सके। बनी हुई योजनाओं का रख-रखाव भी इनकी क्षमता के बाहर हो जाता है। अनेक राज्यों में अपने लगान का बटवारा कर इन स्थानीय निकायों को स्थायी साधन दिय ह। हमारे यहां भी ऐसी ही मांग अरसे से रही है,पर अधिकांश जोतों पर लगान माफ होने से अब अन्य कोई उपाय करना होगा। अतएव यह विचार है कि कानून द्वारा भूमि विकास शुल्क लगाकर एक "ग्रामीण विकास निधि" कायम की जाए, जिसमें जमा धन का उपयोग निम्न प्रकार हो:

(अ) 60 प्रतिशत धन से ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण व ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्य को तीव्रतर किया जाय व अन्य ऐसी योजनायें परिचालित की जाएं, जिनसे छोटे किसानों की अलाभकर जोतें लाभकर हो सकें;

(ब) 15 प्रतिशत धन जिला परिषदों को दिया जावे ताकि वह अधीनस्थ ग्रामीण सड़कों का पुर्ननिर्माण व स्कूलों के भवनों की मरम्मत या जिला स्तर पर अन्य योजनागत निर्माण करा सकें;

(स) 25 प्रतिशत धन क्षेत्र समितियों व ग्राम सभाओं को ग्रामीण पेयजल योजनाओं, गांव के अन्दर की सड़कों एवं ग्रामीण पुलियों, नालियों आदि के निर्माण के लिये दिया जाय। इस धनराशि में से पचास लाख रुपये ऐसी ग्राम सभाओं में जहां विद्युतीकरण हो चुका हो, ग्रामों की सड़कों में, हरिजन बस्ती समेत, वर्ष भर, बिजली के खम्भों पर प्रकाश बनाये रखने के लिये विद्युत बोर्ड को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव यह है कि भविष्य में शनैः शनैः विद्युतीकरण हुए गांवों की सड़कों पर बिजली जलाये रखने की जिम्मेदारी बिजली बोर्ड की ही हो। ग्रामों का विद्युतीकरण भविष्य में जब बढ़ जायेगा, तो यह धनराशि भी बढ़ा दी जायेगी।

यह विकास शुल्क अति छोटी जोतों पर नहीं लगाया जायेगा और प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) प्रकार का शुल्क होगा। यह अनुमान है कि प्रारंभिक वर्ष में इस निधि में विकास शुल्क द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपया जमा हो सकेगा।

सदन में यह मांग कई बार उठी कि प्राइमरी तथा जूनियर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये प्रभावकारी कार्यवाही की जाये। इस संबंध में यह निर्णय सिद्धान्ततः ले लिया गया है कि कक्षा 8 की शिक्षा का प्रबन्ध सरकार सीधे अपने हाथ में ले ले। परीक्षा प्रणालियों के सुधारने का भी प्रयास किया जायेगा।

सैनिकों तथा उनके परिवारों से सम्बन्धित कल्याण कार्य

जवानों के प्रति अपना आभार प्रकट करने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन ने निम्नलिखित निर्णय विशेष रूप से लिये हैं--

1---मालगुजारी व अन्य सरकारी देयों की वसूली में ऐसी कोई कार्यवाही न की जाये जिससे फौजी जवानों के परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई हो। जब तक आपातकालीन स्थिति रहती है तब तक फौजी परिवारों से सरकारी देयों की वसूली में कोई उत्पीड़क कार्यवाही का प्रयोग न किया जावे;

2--अदालतों में उन मुकदमों में जिनमें कोई सैनिक फरीक हो उनमें इंडियन सोल्जर्स लिटिगेशन ऐक्ट, 1925 के अधीन कार्यवाही स्थगित रखी जाय;

3---वीरगति को प्राप्त सैनिकों के बच्चों के सेवारत जे० सी० ओ० तथा अन्य सैनिकों जिनका मासिक वेतन चार सौ रुपये से कम है, के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध शासन की ओर से किया जाये। कुछ छात्रवृत्ति व पुस्तक अनुदान की व्यवस्था भी ऐसे बच्चों के लिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की गयी है । सरकारी पदों पर नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण, आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताओं में शिथिलता की व्यवस्था की गयी है ;

4—वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के लिये नगरों में 22 लाख रुपये की लागत के मकान बनाने का प्रबन्ध किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र में शहीद जवानों के परिवारों के लिये मकान बनाने की योजना पर भी कार्यवाही की जा रही है;

5—उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा वीरगति को प्राप्त अथवा खोये हुए घोषित किये गये 622 संतप्त परिवारों को दिनांक 20 दिसम्बर, 1971 से 7 मार्च, 1972 तक लगभग 13,34,000 रु0 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । उक्त धनराशि के अतिरिक्त संस्थान द्वारा 6 लाख रुपये का अनुदान फौजी अस्पतालों में जवानों की चिकित्सा हेतु आवंटित किया गया है ;

6—यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो सैनिकों को महावीर चक्र तथा 26 सैनिकों को वीर चक्र की उपाधि से विभूषित किया गया है । राज्य सरकार ने प्रत्येक महावीर चक्र विजेता को 7,500 रु0 नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक वीर चक्र विजेता को 3,000 रु0 के नकद पुरस्कार भी स्वीकृत किय हैं;

7—प्रदेश के ऐसे गांवों,जहां सैनिक परिवारों की बहुतायत है, को विद्युतीकरण में प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया गया है ।

दैवी आपदाएं

चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल और मई में पूरे प्रदेश में असाधारण वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप रबी की फसल तथा बगीचों को हुई क्षति का अनुमान 200 करोड़ रुपये लगाया गया है । पहाड़ी जिलों में 10 से 14 जून के बीच फिर भारी वर्षा से भयंकर बाढ़ें आयीं । जून के आखिर में देवरिया जिले के छितौनी रेलवे तट बन्ध और बिहार राज्य के पिपराशी बांध में बाढ़ से दरार पड़ी और सैकड़ों गांव प्रभावित हुए । उसके बाद सितम्बर तक लगातार अतिवृष्टि एवं बाढ़ का प्रभाव बना रहा और 54 जिलों में से 51 जिले प्रभावित हुए जिनमें से 25 जिलों में अधिक हानि हुई । प्रदेश के कुल 36,824 प्रभावित ग्रामों में निवास करने वाले 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित हुए । फसलों की भी हानि का मूल्यांकन 108.12 करोड़ रुपये किया गया है । लगभग 7,44,250 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए जिससे हुई क्षति 28.25 करोड़ रुपये आंकी गयी है । 605 मनुष्यों और 3,064 पशुओं की मृत्यु हो गयी ।

वर्ष 1971 की आपदा अभूतपूर्व थी इसलिये सहायता का भी व्यापक कार्यक्रम बनाया गया । 75 करोड़ रुपये के विशेष अनुपूरक बजट के आधार पर लगभग 66 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया । भारत सरकार द्वारा इन कार्यों के लिये लगभग 35 करोड़ रुपये की सहायता मिल सकी । पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने, पीड़ित किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने, निराश्रितों को निःशुल्क सहायता देने, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिये अनुदान देने, आवश्यकतानुसार टेस्ट वर्क्स चलाने और जहां नुकसान ज्यादा हुआ था वहां सरकारी देयों की वसूली स्थगित करने के लिये शासन की ओर से निर्देश भेजे गये । निःशुल्क सहायता की सीमा 25 रु0 प्रति परिवार से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गयी । इसी प्रकार गृह निर्माण अनुदान की अधिकतम सीमा कच्चे मकानों के लिये 200 रुपये और पक्के मकानों के लिय 300 रुपये कर दी गयी । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की जुलाई, 1971 से मार्च, 1972 तक का शिक्षा शुल्क का भुगतान शासन की ओर से किया

जा रहा है। रबी की फसल की बुआई के लिये एक एकड़ तक छोटी जोत वाले किसानों को मुफ्त बीज दिया गया। लगभग 30,000 कुन्तल चारा बहर से मंगाकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों के लिये उपलब्ध कराया गया।

जो गांव प्रायः बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं उनके स्तर को ऊंचा करने और कुछ गांवों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर सुनियोजित ढंग से बसाने की योजना बनायी गयी है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिये 2 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया है।

लखनऊ नगर व अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भविष्य में बाढ़ नियंत्रण में केन्द्रीय सरकार के परामर्श से योजनाएं बनायी जा रही हैं। केन्द्र से आग्रह किया गया है कि वह एक स्थायी कमीशन की नियुक्ति कर बाढ़ व सूखे की समस्याओं के दीर्घकालीन निदान की व्यवस्था करें।

पिछड़े क्षेत्र

प्रदेश के 15 पूर्वी जिलों, पर्वतीय जिले तथा बुन्देलखण्ड के चार जिले अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हुए माने जाते हैं और इन क्षेत्रों के चौथी योजना में तीव्र विकास की दृष्टि से शेष क्षेत्रों की तुलना में अधिक परिव्यय आवंटित किया गया है। वर्ष 1971–72 में इन तीन पिछड़े क्षेत्रों में क्रमशः 68.68 करोड़ रु0, 15.89 करोड़ रु0 तथा 9.72 करोड़ रु0 व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1972–73 की योजना में पूर्वी क्षेत्र के लिये 70.44 करोड़ रु0, आठ पर्वतीय जिलों के लिये 19.21 करोड़ रु0 तथा बुन्देलखण्ड के लिये 11.25 करोड़ रु0 का परिव्यय आबंटित किया गया है।

सड़कों, सिंचाई के साधनों तथा विद्युत् विकास की मदों में पूर्वी, पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य जिले भी काफी पिछड़े हुए तथा राज्य स्तर से नीचे हैं। इन मदों में प्रदेश के पिछड़ हुए सभी जिलों को अगले वर्ष 12 करोड़ रु0 का विशेष परिव्यय उपरोक्त आयोजना परिव्यय के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

पूर्वान्चल विकास निगम द्वारा चावल मिल, शोडी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, ईटों के भट्ठे तथा शीशे का सामान बनाने के कारखाने की स्थापना करने का निर्णय लिया जा चुका है। ट्यूबवैल लगाने के लिये भी संहत क्षेत्रों का चयन करने के आदेश हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस निगम द्वारा 5 खान्डसारी शकर की यूनिटों की स्थापना करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

बुन्देलखण्ड विकास निगम ने प्रयत्न किया है कि झांसी, जालौन, बांदा तथा हमीरपुर जिलों में लघु तथा मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां शीघ्र स्थापित की जाएं। पत्थर गिट्टी तोड़ने के लिये चार कारखाने (झांसी में दो, हमीरपुर तथा बांदा में एक-एक) लगाये जा रहे हैं। मजदूरों द्वारा हाथ से पत्थर की गिट्टी तोड़ने का कार्यक्रम दो स्थानों पर आरंभ किया गया है। मोरंग एवं मोटी बालू का खनन करने के लिये झांसी तथा हमीरपुर जिलों में प्लाट ले लिये गये हैं और काम आरंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमेन्ट कंक्रीट पोल निर्माण, साइकिल ट्यूब निर्माण, धान की पुआल से पट्टे का निर्माण, ईटों के भट्ठे, खांडसारी, शकर का कारखाना, चीनी के बर्तन तथा सामान बनाने का कारखाना एवं बाक्साइट खनिज का खनन करने की योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

पर्वतीय विकास निगम लि० की चुकता पूंजी 25 लाख रु० से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दी गयी है। निगम के संचालक मण्डल का मार्च, 1972 में पुनर्गठन किया गया है और मण्डल ने भारत सरकार को एक शोडी ऊल स्पिनिंग मिल की स्थापना हेतु लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र दिया है। एक साइडर प्लान्ट की स्थापना के लिये सेन्ट्रल फूड टेक्नालाजिकल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इन्स्टीट्यूट, मैसूर से एक टीम फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिये पर्वतीय क्षेत्र का शीघ्र भ्रमण करने वाली है।

कृषि

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये यह परमावश्यक है कि वह अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता में आत्मनिर्भर हो तथा वहां की कृषि अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो। इस उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में नयी तकनीकों का अधिकाधिक समावेश किया गया जिससे कृषि में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। वर्ष 1970-71 में प्रदेश न 193.52 लाख मी० टन खाद्यान्न उत्पादन का एक नया कीर्तिमान स्तर स्थापित किया। दैवी आपदाओं के बावजूद इस वर्ष भी ऐसी आशा की जाती है कि खाद्यान्न का उत्पादन 193 लाख मी० टन तक पहुंचेगा। 1972-73 का खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 201 लाख मी० टन है। प्रदेश के 14 जिलों में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को किराये पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनके पास उपलब्ध यंत्रों की मरम्मत भी की जायेगी। किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग, मरम्मत तथा उनके रख-रखाव के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। यह सूचना रुचिकर होगी कि प्रदेश में 1966 के 10,139 ट्रैक्टरों की तुलना में 1971 में 17,336 ट्रैक्टर थे। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971-72 में 114 इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें 2.25 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित करने का अनुमान है। वर्ष 1972-73 में 2.28 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पन्तनगर विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर अपने विविध शोध-कार्यों द्वारा नयी उत्पादन विधियों एवं बीजों के सृजन में अग्रसर हैं।

सहकारिता

सहकारी आन्दोलन द्वारा कृषकों एवं पिछड़े वर्ग के चतुर्दिक विकास के लिये कई ठोस कदम उठाये जा रहेहैं। कृषकों को आलू का ठीक मूल्य मिल सकें इसके लिये सहकारी क्षेत्र में शीत भण्डारों का विस्तार आवश्यक है। अभी तक प्रदेश में सिर्फ 26 सहकारी शीत-गृह थे। इस वर्ष 10 नये शीतगृह खोले जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में बढ़ती हुई पैदावार के ठीक प्रकार से रख-रखाव तथा रक्षा के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा 6.22 करोड़ रु० की लागत के 4 लाख मैट्रिक टन की क्षमता के गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है। रिक्शा चालकों के लिये अगले वर्ष 47 नई सहकारी रिक्शा चालक समितियों की स्थापना करने का विचार है।

छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की आमदनी में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय दुधारू पशुओं का पालना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और अधिक दुग्ध उत्पादन द्वारा इस समय व्याप्त प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश में दुग्धशाला विकास का का विशाल कार्यक्रम सहकारी क्षेत्र में प्रारंभ किया जा रहा है। परिणामस्वरूप प्रदेश में "श्वेत क्रांति" का प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में इस समय 13 आधुनिक यंत्रों से सज्जित दुग्धशालाएं कार्यरत है। वर्ष 1971-72 में 11 नई दुग्धशालाएं लगाई जायेंगी।

"आपरेशन फ्लड" योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 3.82 करोड़ रु० आबंटित किया गया है और इस योजना में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर और मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 1.88 करोड़ रु० की

लागत से दो बड़ी दुग्धशालाएं मेरठ वाराणसी में लगाई जायेंगी और इन सात जिलों में दुग्ध उत्पादन एवं ऋण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, दुधारू पशुओं के चिकित्सा आदि में 1.94 करोड़ रु० व्यय किया जायगा। वर्ष 1972-73 में श्रम सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था—श्रम सहकारी संघ—स्थापित की जायेगी। इस संस्था में शासन द्वारा प्रारंभिक अंशपूंजी नियोजन हेतु 50,000 रु० का प्राविधान किया गया है। यह संघ आरंभ में सहकारी संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले गोदामों, कर्मशालाओं, दुग्धशालाओं, सहकारी औद्योगिक इकाइयों, शीतगृहों, भवनों आदि का निर्माण करेगा और शासन द्वारा बनाई जाने वाली इमारतों के निर्माण का कार्य भी करेगा। इस प्रकार एक ओर तो यह संघ निर्माण-कार्य शीघ्र और सस्ते दामों में कराने में सहायता करेगा और दूसरी ओर इंजिनियरों, टेक्निकल व्यक्तियों और श्रमजीवियों को भारी मात्रा में रोजगार दिलवायेगा।

सिंचाई

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये राज्य की योजनाओं में सिंचाई कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। चौथी योजना में कुल 29.91 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होने की आशा है। वर्ष 1968-69 में उपलब्ध 86.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ कर वर्ष 1971-72 में 103.85 लाख हेक्टेयर हो जाने की संभावना है। चौथी योजना में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.0 लाख नलकूपों के निर्माण का लक्ष्य था जिसमें से प्रथम तीन वर्षों में लगभग 1.5 लाख नलकूपों का निर्माण हो जायगा। विद्युत् चालित कृषि पंपों की संख्या 0.66 लाख से बढ़कर 1.67 लाख तक पहुंच जाने की आशा है। वर्ष 1968-69 में राज्य में कुल 9,400 राजकीय नलकूप थे जो वर्ष 1971-72 के अन्त में बढ़ कर 11,064 हो जायेंगे। वृहत् सिंचाई परियोजना क्षेत्र में गण्डक तथा रामगंगा प्रोजेक्टों पर कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। शारदा सहायक परियोजना पर कार्य बढ़ाया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इसे भी शीघ्र पूरा करके लाभ उठाया जाय। शारदा सहायक परियोजना के लिये चौथी योजना काल में अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिये प्रयास जारी है ताकि धनाभाव के कारण परियोजना के शीघ्र पूरा करने में कोई बाधा न पड़े।

विद्युत्

प्रदेश में विद्युत् शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये विद्युत् उत्पादन एवं वितरण पर बल दिया जा रहा है। एक दस वर्षीय महती योजना जिसका आकार रु० 1,970 करोड़ का होगा, बनाई गई है परन्तु उसकी पूर्ति संसाधनों की उपलब्धि एवं केन्द्रीय सहायता पर निर्भर है। शासन की ओर से नरोरा में परमाणु प्रजनन केन्द्र लगाने के संबंध में प्रयास जारी है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्र द्वारा यह आश्वासन तो मिल ही गया है कि उत्तर भारत में प्रस्तावित अगला अणु बिजली घर उत्तर प्रदेश में ही लगेगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरंभ में प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता 1310 मेगावाट थी तथा चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में 124 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 1971-72 में अब तक ओबरा जल विद्युत् की तीसरी मशीन, हरदुआगंज चतुर्थ चरण की प्रथम मशीन तथा ओबरा तापार्य (थर्मल) की पांचवीं मशीन के परिचालित हो जाने से 138 मेगावाट की वृद्धि हो चुकी है। चतुर्थ योजना के अन्त में प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता 1827 मेगावाट हो जाने की आशा है।

चतुर्थ योजना के आरंभ में 65,513 व्यक्तिगत नलकूप/पम्प सेट विद्युत् से चल रहे थे। चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में 51,180 व्यक्तिगत नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया। इस वर्ष लगभग 30 हजार नलकूपों का विद्युतीकरण करने का प्रयास हो रहा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यद्यपि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये योजनागत प्राविधान अपर्याप्त है, भविष्य में प्रतिवर्ष 50,000 निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिये प्रति वर्ष 22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है जिसको वित्तीय संस्थाओं से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

पिछले काफी समय से निजी नलकूप एवं पंपिंग सेट कर लगाई गई न्यूनतम गारंटी को कम कर देने की मांग बराबर रही है। साथ-साथ यह भी मांग रही है कि उपभोक्ताओं के यहां लगे हुए ट्रांसफार्मरों की चोरी होने पर उन ट्रांसफार्मरों को राज्य विद्युत् परिषद् अपने खर्चे पर बदल दें। मुझे यह कहने में हर्ष है कि जनवरी 1, 1972 से न्यूनतम गारन्टी समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ वित्तीय भार होते हुए भी राज्य विद्युत् परिषद् ने इस बात को मान लिया कि चोरी हुए ट्रांसफार्मरों को परिषद् स्वयं अपने खर्चे से बदलेंगे।

राज्य विद्युत् परिषद् को अपने निजी नलकूपों एवं पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण करने का 50,000 का लक्ष्य हर वर्ष पूरा करने के लिये संस्थागत वित्तीय श्रोतों से लगभग 3 प्रतिशत अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय भार को वहन करने के अभिप्राय से परिषद् उपभोक्ताओं से 500 रु० या 750 रु० प्राथमिकता शुल्क एक मुश्त जमा करवाता है। इस कारण उपभोक्ताओं को इस योजना में अधिक रुचि नहीं होती जिसके फलस्वरूप परिषद् को अपने लक्ष्य की पूर्ति में कठिनाई होती है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण करने हेतु शासन 1972–73 वित्तीय वर्ष से राज्य विद्युत् परिषद् को अतिरिक्त ऋण आयोजनागत मद में देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह ऋण परिषद् शासन को उतने ही किस्तों में लौटायेगी जितनी किस्तों में परिषद् उपभोक्ताओं से कामशियल योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता शुल्क वसूल करेगी। यह आशा की जाती है कि इस योजना के लागू होने पर परिषद् को अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में कठिनाई न होगी।

उद्योग

औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिये यह आवश्यक है कि उचित वातावरण उत्पन्न किया जाय। इस उद्देश्य से शासन एक "पैकेज आफ इन्सेन्टिव्ज" जो उद्योगकर्त्ताओं को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित करे, पर विचार कर रहा है। यह सब "इन्सेनटिव्ज" एक औद्योगिक नीति में शामिल करके शीघ्र ही घोषित किये जायेंगे। इससे उद्योगकर्त्ताओं को स्पष्ट रूप से मालूम हो जायगा कि शासन को ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

लघु उद्योगों को उचित मात्रा में ऋण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से उपलब्ध होता है। मुझे हर्ष है कि इस संस्था ने चालू वर्ष में झांसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा और नैनीताल में अपनी शाखाएं खोली हैं और 10 करोड़ रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक बंट चुका है। वित्तीय निगम खासतौर से पिछड़े जिलों को 15 प्रतिशत मार्जिन पर ऋण उपलब्ध कराता है।

मध्यम श्रेणी के उद्योगकर्त्ताओं को उचित मात्रा में धन प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। उसके साथ कन्सलटेंसी सर्विस तथा उद्योग लगाने के विषय में तथा अन्य कार्यों के विषय में भी कठिनाई उत्पन्न होती थी। इसीलिए उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने, उद्योगकर्त्ताओं के लिये प्रायोजनाएं बनाने तथा सरकारी विभागों द्वारा होने वाले कार्यों को शीघ्र कराने तथा उद्योगपतियों को अन्य सुविधाएं देने लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों में इस कार्य के लिये स्थापित निगमों के तरीके पर एक अन्य निगम जिसका नाम "प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल ऐन्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी०" यानी "पिक अप" होगा,

स्थापित करने का निश्चय किया है। इस निगम की अथोराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ रुपये और हेड अप कैपिटल आरंभ में सवा करोड़ रुपये होगी। यह निगम बाजार से ऋण ले सकेगा और प्रदेश में उद्योग लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों की सेवा कर सकेगा। इसके साथ शासन ने एक क्रडिट गारंटी स्कीम चालू करने का भी निश्चय किया है। यह क्रडिट गारंटी स्कीम 'पिक अप' के माध्यम से चलायी जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत उद्योगकर्त्ताओं को कम से कम मार्जिन पर नेशनलाइज्ड बैंक्स तथा अन्य वित्तीय निगमों से ऋण की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम कई स्थानों पर भूमि, बिजली, पानी तथा अन्य बुनियादी ढांचे (इनफ्रास्ट्रक्चर) दिलाने के लिये कार्यरत है। इसके साथ-साथ राज्य औद्योगिक निगम ने आठ बड़े कारखाने लगाने के लिये आशय पत्र प्राप्त किये हैं। राज्य औद्योगिक निगम उद्योगपतियों से मिलकर यह कारखाने संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने जा रहा है। पहला कारखाना अल्मोड़ा में लगने जा रहा है, जो जुलाई–अगस्त, 1972 में चालू हो जायगा। प्रिन्टंग मशीन्स, बिजली के बल्व तथा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के कारखानों को लगाने हेतु निगम ने आवश्यक बातचीत करीब २ पूरी कर ली है और आशा की जाती है कि इन पर शीघ्र ही कार्य चयलू हो सकेगा। इसके अलावा मिनी स्टील प्लान्ट, रेजर ब्लेड तथा स्कूटर इत्यादि बनाने के कारखानों की स्थापना के लिये भी निगम बातचीत कर रहा है। इसके अलावा निगम ने नायलोन, पोलस्टर फाइबर तथा पोलिस्टर फिल्म इत्यादि कारखाने लगाने के लिये भी आशय-पत्र का आवेदन-पत्र भेजा है।

डल्ला सीमेन्ट फैक्ट्री अब पूरे तरीके से चलने लगी है। जिला मिर्जापुर तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे चूने के भण्डार मालूम हुए हैं। इसलिये प्रदेश में कई सीमेन्ट के कारखाने लगने की संभावना है। देहरादून में सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से सीमेन्ट फैक्टरी लगेगी। दो अन्य सीमेन्ट फैक्टरीज जिला मिर्जापुर में लगाने के लिये तथा डल्ला और चुर्क सीमेन्ट फैक्टरीज का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये शासन ने 20 करोड़ रुपये की अथोराइज्ड कैपिटल से एक सीमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश स्थापित किया है। साथ ही साथ रिफेक्टरीज, एसबेस्टस शीट्स इत्यादि बनाने के कारखाने कारपोरेशन द्वारा चलाये जा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम आरंभ में पूर्वी जिलों में संयुक्त सेक्टर के अन्तर्गत पांच औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने जा रहा है। अगले वर्ष ऐसी और इकाइयां लगाई जायेंगी। लघु उद्योग निगम ने इस वर्ष कन्सलटेंसी सर्विस आरंभ की है जिसके अन्तर्गत उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर प्राविधिक सलाह दी जाती है और कारखाने लगाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लघु उद्योग निगम 10 प्रतिशत मार्जिन पर हायर परचेज की मशीन भी उपलब्ध कराता है। इस वर्ष 80 लाख रुपये की मशीनें लघु उद्योग निगम ने हायर परचेज पर उपलब्ध करायीं। लघु उद्योग निगम ने चालू वर्ष में कुल व्यवसाय पांच करोड़ रुपये से अधिक का किया जो लघु औद्योगिक प्रगति का द्योतक है। दो पिछड़े जिलों, झांसी तथा बलिया में उद्योगकर्त्ताओं को वहां उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित करने हेतु 50 लाख रुपये तक की पूंजी विनियोजन वाली इकाइयों को उनके अचल पूंजी का 10 प्रतिशत उपदान के रूप में दिया जायगा। भारत सरकार ने योजना आयोग के परामर्श पर करीब-करीब सभी राज्यों में दो-दो जिले ऐसे उपादान के लिये छांटे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होते हुए भी और जहां 54 में से 36 जिले पिछड़े घोषित किये जा चुके हैं केवल दो ही जिले सबसिडी के लिये छांटे गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से कई दफा आग्रह किया है कि ऐसे जिलों की संख्या बढ़ा दी जाय। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 50 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट सबसिडी उन उद्योगों को मिलनी चाहिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगें। ऐसी सुविधाएं जम्मू, कश्मीर, आसाम, मनीपुर, तथा नेफा में उपलब्ध कराई गई हैं। यह विषय भारत सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड तथा अन्य पहाड़ी इलाकों से खनिज पदार्थ मिलने की संभावना को देखते हुए इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और डाइरेक्टोरेट आफ जियोलाजी एन्ड माइनिंग को अन्य स्टाफ, इस कार्य को तेजी से करने लिये दिया जा रहा है। झांसी जिले से निकल तथा तांबा की खोज करने के लिये यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत काम चालू हो चुका है।

अभी तक 19 पिछड़े जिलों में पूर्णकालीन जिला उद्योग अधिकारी नहीं थे। अब इन सभी पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए शासन ने यह निश्चय किया है कि हर जिले में एक उद्योग अधिकारी का पद सृजित किया जाय। पौड़ी-गढ़वाल में रीजनल आफिस भी खोला जायगा। इससे उद्योग कर्त्ताओं को प्राविधिक सहायता तथा अन्य सूचना प्राप्त हो सकेगी।

20 या 22 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक टैक्नो-एकोनामी सर्वेज नहीं हो पाये थे। अगले वर्ष में यह कार्य भी किया जायगा और तत्पश्चात् सभी जिलों के टैक्नो-एकोनामिक सर्वेज पूरे करा कर उद्योगार्थियों को सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। केन्द्र से यह प्रभावकारी आग्रह किया जा रहा है कि वे उत्तर प्रदेश में ही रिफाइनरी स्थापित करें। केन्द्र द्वारा लखनऊ में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स व स्कूटर फैक्टरी, इलाहाबाद में टेलीफोन इन्डस्ट्रीज व गाजियाबाद में भारत इलैक्ट्रोनिक्स शाखा स्थापित की जा रही है।

संचार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रदेश में केवल 15,113 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। प्रदेश में सड़कों की भारी कमी को दूर करने के लिये किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1971–72 तक जिन सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है, उनके पूर्ण होने पर प्रदेश में लगभग 39,000 किलोमीटर सड़कें होने की आशा है।

वित्तीय वर्ष 1972–73 में अधिकतम व्यय स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में किया जायगा और आयोजना के अन्तर्गत कुल 324 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण, 279 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निर्माण तथा 21 पुलों का निर्माण कार्य सम्पन्न करने का प्रस्ताव है।

इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण पुलों पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है, उनमें जिला मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल, जिला हमीरपुर में यमुना नदी पर पुल, जिला सहारनपुर में मसखरा नदी पर पुल तथा जिला प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ के पास सई नदी पर पुल उल्लखनीय है। इसके अतिरिक्त जौनपुर में गोमती नदी के ऊपर एक अति महत्व के नये पुल पर भी कार्यारम्भ हो चुका है।

शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु 1971–72 में 345 प्राइमरी स्कूल खोले गये तथा छात्रों की संख्या विशेषकर बालिकाओं की संख्या को और बढ़ाने के उद्देश्य से 15,220 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गये। इसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं का प्रतिशत 67 से बढ़कर 71 हो जाने की आशा है। वर्ष 1972–73 में 110 नये प्राइमरी स्कूल खोलने तथा 2,100 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। पूर्व माध्यमिक

स्तर के विकास हेतु वर्ष 1971–72 में 227 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये तथा वर्ष 1972–73 में 190 और विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। माध्यमिक स्तर पर वर्ष 1971–72 म दो नय राजकीय हाई स्कूल खोल गय। पवतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हेतु पौड़ी तथा कोटद्वारा में दो नय राजकीय डिग्री कालेजों की स्थापना की गयी तथा 16 डिग्री कालजों को सम्बद्धता प्रदान की गयी। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक की कुल 40 पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं। शासन की नीति के अनुसार जूनियर हाई स्कूल की शेष सभी पाठ्य पुस्तकों को भी राष्ट्रीयकृत किये जान की कायवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट स्तर की पुस्तकों का भी राष्ट्रीयकरण किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। देहाती क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया गया ह जिससे अल्प आय वाले मेधावी देहाती बालक लाभान्वित होंगे। वर्तमान काल में विज्ञान की तीव्र प्रगति से शिक्षकों को भलीभांति अवगत कराने हेतु माध्यमिक स्तर के विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हो गया है। सहायता प्राप्त हाई स्कूलों तथा इन्टर कालिजों के शिक्षकों एवं अन्य कमचारियों के वेतन का भुगतान अनुसूचित बैंकों से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक करने की व्यवस्था की गयी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। उसकी एक शाखा मेरठ में खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय अपना कार्य इस वर्ष शुरू कर सकेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदेश में समुचित रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। इस उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1971–72 में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 12 नये एलोपैथिक औषधालय, 25 नये आयुर्वेदिक औषधालय तथा 15 नये होम्योपैथिक औषधालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां दान स्वरूप उपयुक्त भवन उपलब्ध होंगे, 5 महिला चिकित्सालय स्थापित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी। इनमें से अधिकांश औषधालय खुल चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही, जहां चिकित्सा सुविधायें अभी उपलब्ध नहीं है, वर्ष 1971–72 में 11 (ग्यारह) सचल चिकित्सालयों की स्थापना की स्वीकृति की गयी है जो उन क्षेत्रों में जाकर वहां की जनता की चैकित्सिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां अब तक केवल एक डाक्टर होता था इस वर्ष से एक अतिरिक्त डाक्टर और भेजने का निर्णय लिया गया और 875 अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं। इन अतिरिक्त पदों पर नये डाक्टरों की भर्ती की जा रही है। 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति भी इसी वित्तीय वर्ष में दी गयी है। वर्ष 1972–73 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 एलोपैथिक औषधालय, 25 आयुर्वेदिक औषधालय, 20 होम्योपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2 बाल रुजालय और 7 दन्त रुजालय खोलने का भी प्रस्ताव है। आशा है कि प्रदेश के बिखरे हुये व दूर-दूर के स्थानों में इन नये औषधालयों के खुलने से एक उड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी।

राजकीय चिकित्सालयों में ग्लुकोज, नार्मल सलाइन तथा ग्लुकोज सलाइन इत्यादि की प्रति वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इस पर काफी व्यय करना पड़ता है। अतः यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1972–73 में कानपुर मेडिकल कालेज की फार्मेसी शाखा में एक "हास्पिटल फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट" की स्थापना करके उक्त औषधियों का निर्माण विभागीय नियंत्रण में किया जाय।

परिवार नियोजन कार्य-क्रम को पूर्ववत् बड़ा महत्व दिया गया है और इसके लिए आवश्यक प्राविधान और व्यवस्था की गयी है। चालू वर्ष में इस कार्य में विशेष प्रगति हुई और बुलन्दशहर में एक बृहत परिवार कल्याण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 10,000 नसबन्दी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के लक्ष्य के विपरीत 14,000 नसबन्दियां की गयीं। इसी शिविर से प्रेरणा लेकर एक दूसरा शिविर 27 जनवरी, 1972 से गोरखपुर मण्डल में आयोजित किया गया। इसमें भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई। शिविर में नसबन्दियों का लक्ष्य केवल 20,000 रखा गया था, लेकिन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 64,000 के ऊपर नसबन्दियां की गयीं। इन अभियानों का उद्देश्य केवल परिवार नियोजन ही नहीं है, बल्कि समग्र परिवार कल्याण भी है जिसके अन्तर्गत इस अवधि में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध की गयीं।

प्रदेशीय सरकार इस आवश्यक कार्य के लिए भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त करने की चेष्टा कर रही है। इसमें काफी प्रगति हो गयी है और आशा है कि अगले वर्ष आयोजनागत धनराशि के अतिरिक्त प्रदेशीय सरकार को 8 करोड़ रुपये की सहायता एक विशेष परिवार नियोजन योजना के लिए मिल जायगी जो कि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, व मुजफ्फरनगर जिलों में परिचालित होगी।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

राज्य में पशुधन एवं मत्स्य विकास पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 1972–73 में 13 पशु चिकित्सालय, 60 'डी क्लास' औषधालय, 124 पशुपालन कन्द्र, 3 वीर्य संग्रह केन्द्र, 14 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 144 कृत्रिम गर्भाधान उपकन्द्र तथा १८ भेड़ केन्द्र एवं ऊन प्रसार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः लगभग 1093, 160, 1818, 28, 700, 1492 और 133 हो जायेगी इसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक लगभग 41,000 पशुओं पर एक चिकित्सालय और 30,500 पशुओं पर एक पशुपालन केन्द्र उपलब्ध हो जाएगा।

मत्स्य विकास कार्य जो वर्ष 1944 से 6 जिलों से आरम्भ किया गया था अब 1.388 लाख हक्टयर जल क्षेत्र के ऊपर, 49 जिलों में फैला हुआ है जिससे 64 वृहद् एवं मध्य श्रेणी के जलाशय तथा विभाग में निहित 389 तालाब और पोखरे शामिल हैं। आशा है कि मत्स्य की पैदावार वर्ष 1971–72 की अनुमानित 14,400 कुन्तल से बढ़कर सम्भवतः 1972–73 म 16,700 कुन्तल हो जायगी।

श्रम कल्याण

श्रम विभाग ने औद्योगिक शान्ति बनाए रखने, औद्योगिक कानूनों के प्रतिपालन और वेतन मण्डल की अनुसंशाओं के कार्यान्वयन की दिशा में अपना कार्य निरन्तर जारी रखा। गत वर्ष गठित राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग ने इस वर्ष तीन महत्वपूर्ण अनुसंशाएं प्रस्तुत की हैं जो कि औद्योगिक श्रमिकों को निलम्बन काल में जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने, सेवा निवृत्ति पर आनुतोषिक (ग्रेचुइटी) दिये जाने तथा ट्रेड यूनियन की कार्यपद्धति के विश्लेषण और उसमें व्यापक सुधार करन के विषय म ह। इन अनुसंशाओं में प्रथम दो को शासन ने विचारोपरान्त लागू कर दिया ह जिससे कई लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे। अराजकीय और सार्वजनिक क्षत्र क प्रतिष्ठानों के विषय में आनुतोषिक योजनायें लागू करने का सिद्धान्त मान लिया गया है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग तथा राज्य श्रम आयोग की अनुसंशाओं पर आधारित तीन संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक झगड़ों का अधिनियम, ट्रेड यनियन अधिनियम तथा वेतन भुगतान अधिनियम बनाने का विचार है। इन संशोधनों के फलस्वरूप लगभग साठ प्रकार के उद्योगों और नियोजनों में प्रतिनिधि यूनियनों और फेडरेशनों का बनाना सम्भव हो जायगा। साथ ही साथ प्रतिनिधि यूनियन आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जायेंगी तथा औद्योगिक विवादों

के शीघ्र अभिनिर्णय का मार्ग प्रशस्त हो जायगा। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे श्रमिक संघों को, जिनकी आर्थिक स्थिति विपन्न है, कानूनी सलाह और पैरवी की सुविधा दी जाय, जिसके लिए प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में वकील तैनात किये जायेंगे जो श्रमिकों की ओर से पैरवी करें। प्रदेश में खेतिहर मजदूरों तथा लघु और कुटीर उद्योगों में श्रमिक संगठन लगभग शून्य है। एक यूनियन विकास अधिकारी का प्राविधान किया जा रहा है, जिसका प्रमुख कर्त्तव्य यह होगा कि बिखरे हुए लाखों श्रमिकों को सम्बद्ध करे।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षित करके उनका वेतन काफी बढ़ा दिया गया है। अन्य 17 उद्योगों में जिनमें मुख्यतः ऊनी कालीन उद्योग, निजी छापाखाना, होटल तथा रेस्ट्रां, फाउण्ड्री, धातु, मोटर ट्रांसपोर्ट तथा लाख उद्योग है, पुनरीक्षित वेतन के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां मंगाने के लिए विज्ञप्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 17 नये उद्योग इस अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं जिसमें कपड़, छपाई, लकड़ी के सामान, होजरी, टेलरिंग, पावर लूम, हण्डलूम, दियासलाई, उद्योग, खाण्डसारी, धुलाई, यान्त्रिक यातायात, जरी, चिकन आदि के उद्योग मुख्य हैं। विद्युत् व रोडवेज के लिए वेज बोर्ड की उचित सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

आवास व्यवस्था

आवास का मुख्य कार्य-क्रम उत्तर प्रदेश आवास परिषद् द्वारा कार्यान्वित हो रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी कुछ कार्य सम्पादित हो रहा है। राज्य कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1962 में एक योजना चलाई गई थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरणों में 8.42 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न श्रेणी के 5733 आवासों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। इनमें से लगभग 4,300 आवास बन गये है अथवा निर्माणाधीन हैं। इसी योजना के पंचम चरण म 13 करोड़ रुपये की लागत से 6715 अतिरिक्त आवासों का निर्माण वर्ष 1970–71 में स्वीकृत किया गया है। इन आवासों के लिए जहां भूमि उपलब्ध हो गई है, निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

नैनी, गाजियाबाद व लखनऊ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा श्रमिक क्वार्टर्स के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। निजी उद्योगपतियों को उनके औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास गृहों के निर्माण हेतु और स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए किराये पर दिये जाने हेतु भवनों के निर्माण के लिए अनुदान तथा ऋण के रुप में धन दिया जाता है। अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में 408 मकानों के बनने की सम्भावना है। मलिन बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में 188 और वर्ष 1972–73 में 192 मकानों के बनने की सम्भावना है। मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना भी जारी है और उसके अन्तगत वष 1971–72 में 160 मकानों का निर्माण अनुमानित है। ग्रामीण गृह निर्माण योजना विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों को गृह निर्माण हतु भूमि देने की भी व्यवस्था होगी।

हमें हर्ष है कि आवास विकास परिषद् ने तेजी से भूमि अर्जन कर उस पर मकान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। आशा है अगले वर्ष में इनके प्रयास से प्रदेश मे 1 हजार भवनों का निर्माण हो सकेगा। इस परिषद् का कार्य क्षेत्र अभी तक 16 जिलों तक ही सीमित था। इसको 36 और जिलों में बढ़ाया गया है और इसे सारे प्रदेश में लागू करने का विचार है जिससे सभी जगहों पर आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने और क्रमशः मकानों की सुविधा उपलब्ध होना सम्भव होगी। आवास परिषद् वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

2 करोड़ रुपये का बाजार ऋण प्राप्त कर रहा है। कानपुर व लखनऊ की मलिन बस्तिओं क विकास क लिए भी केन्द्र की सहायता से 6.83 करोड़ रुपये की योजना परिचालित की जायगी।

पेय जल की सप्लाई और मल निकास प्रणाली (सिविरेज)

मार्च 1971 तक प्रदेश के 149 नगरों तथा 1,832 गांवों में नलों द्वारा पेय जल की सुविधा की जा चुकी है। वर्ष 1971–72 में चार नये नगरों में तथा 483 गांवों में पेय जल व्यवस्था करने की कार्यवाही जारी ह। वर्ष 1972–73 में 438 और गांवों में चार नये नगरों में पय जल की व्यवस्था करने का तथा चार पुनर्गठन योजनाओं की पूण किये जाने का लक्ष्य है।

मार्च 1971 तक 30 नगरों में जलोत्सारण व्यवस्था लागू कर दी गई थी। वर्ष 1971–72 में तीन नये नगरों में जलोत्सारण व्यवस्था लागू करने का विचार है। वर्ष 1972–73 में भी तीन जलोत्सारण योजनाओं की पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। जलोत्सारण योजनाओं तथा पेय जल योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने का व्यवस्था भी की जा रही है।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था होना और गन्दे पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध होना नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से परम आवश्यक है। नगर क्षेत्रों म जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण की वर्तमान व्यवस्था के प्रबन्ध तथा उसके विकास में स्थानीय निकायें समर्थ नहीं प्रतीत होतीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध एवं रख-रखाव जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों अथवा गांव सभाओं द्वारा नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण परिषद् (वाटर एवं सीवेज बोर्ड) का गठन करने का प्रस्ताव है जिसको स्थानीय निकायों को जल सम्पूर्ति तथा जलोत्सारण व्यवस्था का प्रबन्ध रख-रखाव तथा विकास का कार्य सौंपने का विचार है। यह परिषद् ग्रामीण क्षेत्रों को जल सम्पूर्ति व्यवस्था का भी प्रबन्ध करगी।

पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शासन का विस्तृत कार्य-क्रम है। पिछड़े वर्गों को शैक्षिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा ह। और केवल शिक्षा संबंधी योजनाओं पर लगभग 5.13 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

शैक्षिक कार्य-क्रम के साथ-साथ इन वर्गों की आर्थिक उन्नति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस हतु बजट में 49 लाख रुपये धनराशि की व्यवस्था की गई गई है। टेक्निकल इंजीनियरिंग व मेडिकल शिक्षा प्राप्ति के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्राविधान का सुदृढ़ीकरण किया जायगा। सेवाओं में आरक्षित स्थानों में इन जातियों के अभ्यर्थियों को छांटा जाना सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रबन्ध किया गया है।

इन जातियों की आवास दशा को सुधारने के लिये गृहों के निर्माण हेतु 16.75 लाख रुपये का प्राविधान अनुदान देने के लिये किया गया ह। इसी प्रयोजन के लिये अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण देन के लिये 10 लाख रुपये की धनराशि का और प्राविधान किया गया है। पयजल की सुविधा उपलब्ध करान क लिये 23 लाख रुपये की धनराशि कूप इत्यादि निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिये प्रस्तावित है।

अनुसूचित जन-जातियों की बालिकाओं के लिए एक आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किये जाने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिय कुछ छात्रावास स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिन्हें विभागीय प्रबन्ध से चलाया जायगा।

राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व की देख-रेख के लिये शासन द्वारा एक कार्यान्वियन कोष्ठ (इम्प्लीमन्टशन सेल) की स्थापना की गई है।

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना

सन् 1971-72 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये चलाये गये कार्य-क्रमों में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत सहायता के आधार पर चलाया गया यह कार्यक्रम अत्यन्त ही लाभदायक सिद्ध हुआ है और प्रदेश की ग्रामीण जनता ने हर्ष-उल्लास के साथ इसका स्वागत किया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में साढ़े बारह लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर पर तीन वर्ष में साढ़े सैंतीस लाख रुपये व्यय करने का विचार है। 1971-72 में पूरे प्रदेश के लिये प्रस्तावित 6.75 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और इसका व्यय भी तेजी से हो रहा है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 14.34 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। इस स्वीकृति में सबसे बड़ा अंश सड़कों का है और अगले तीन वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 12.07 करोड़ रुपए की लागत पर 2,778 कि० मी० सड़क प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जायेगी। इसमें अब तक लगभग 1,400 कि० मी० की लम्बाई पर मिट्टी का कार्य हो चुका है। इसी प्रकार 74.67 लाख रुपये वन विभाग की योजना पर, 111.61 लाख रुपये सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं पर, 21.45 लाख रुपये भूमि संरक्षण की योजनाओं पर और 13 लाख रुपये मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं पर व्यय करने का विचार है। अभी लगभग 6 करोड़ रुपये की योजनायें और स्वीकार होनी हैं जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष इस योजना में 6 महीने ही कार्य हो पाया था परन्तु फिर भी कार्य की प्रगति बहुत अच्छी रही। लगभग एक लाख व्यक्ति प्रति मास औसत पर काम में लगाये गये। इस योजना की गति तीव्र रखने के लिये काफी अधिकारों का प्रतिनिधान हुआ है और जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों की एक परामर्शदात्री समिति के माध्यम से यह संचालित हो रही है। 54 जिलों में से 20 जिलों में इस योजना के अन्तर्गत अधिकतर कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न हो रहा है और शेष 34 जिलों में जिला परिषद् मुख्य एजेंसी है। अगले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 2,000 स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया जायगा।

विविध

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल के लिये लगभग 18 लाख रुपये की लागत से क्रय की गई 102 सेंटीमीटर व्यास की परावर्तक दूरबीन शीघ्र काय करना प्रारम्भ कर देगी। इस दूरबीन के सुचारु रूप से कार्य करने लगने के बाद यह वेधशाला विश्व की अन्य द्वितीय श्रेणी की वेधशालाओं में गिनी जाने लगेगी।

श्री आदि शंकराचार्य, जिनका नाम राष्ट्रीय एकता की दिशा में अग्रगण्य है, के स्मारक के रूप में श्री आदि शंकर विभाग मण्डल कमेटी, दिल्ली को प्रयाग में संगम के तट पर आदि शंकर विभाग मण्डप के निर्माण हेतु बजट वर्ष में 50,000 रु० का अनावर्तक अनुदान देने का प्रस्ताव है।

लखनऊ में एक मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय खेलकूद, संस्था, पटियाला की सहायता से खोला गया है। लखनऊ में एक स्पोर्ट्स होस्टल की स्थापना की जा रही है ताकि हाकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और तैराकी में राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ ही साथ मण्डलीय स्तर पर प्रशिक्षण योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है, तथा गढ़वाल मण्डल में एक मण्डलीय क्रीड़ा परिषद् की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में उर्दू भाषा की प्रगति तथा विकास के हित में और खासतौर पर उर्दू पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के लिये शासन द्वारा एक उर्दू अकादमी की स्थापना स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई है। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस समय दो पूर्णकालिक प्रशासनाधिकरण कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1971-72 में 31 दिसम्बर, 1971 तक प्रशासनाधिकरणों को 13 मामले सौंपे गये। उक्त अवधि में प्रशासनाधिकरणों ने 23 मामलों में अन्तिम रिपोर्टें दीं, जिनमें 29 अधिकारी/कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थ। इनमें से 6 अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ा दण्ड, 11 को हल्का दन्ड तथा 11 को दोष मुक्त करने की सिफारिश की गई थी।

सतर्कता अधिष्ठान को वर्ष 1971-72 में 31 दिसम्बर, 1971 तक 74 मामलों में खुली जांच करने का काम सौंपा गया था। उक्त अवधि में सतर्कता अधिष्ठान में 98 मामलों में जांच पूरी कर ली। 1 जनवरी, 1972 को 29 मामले प्रशासनाधिकरणों के विचाराधीन थे और 238 मामलों में सतर्कता अधिष्ठान को जांच करनी थी।

अल्प बचत योजनाएं

विकास कार्य के लिये धन एकत्रित करने में छोटी बचतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जन साधारण में मितव्ययिता की आदत डालने के अतिरिक्त यह योजना कीमतों के विस्तार को रोकने में सहायक होती है। इस योजना का महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि कुल वास्तविक जमा की गई धनराशि का दो तिहाई राज्य को केन्द्र द्वारा योजनाओं म खर्च करने के लिए ऋण के रूप में प्राप्त हो जाता है। वास्तव में इस योजना को जन आन्दोलन का स्वरूप देकर सफलता प्राप्त हो सकती है। बचत योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का लक्ष्य रु० 29 करोड़ रखा गया था किन्तु बदलती हुई परिस्थिति में राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर रु० 40 करोड़ कर दिया है। मुझे यह बताने में हर्ष है कि इस वर्ष अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन एकत्रित करन म इस प्रदेश में काफी सफलता मिली है। वर्ष के अन्त तक बढ़े हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का शासन द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। जनवरी 31, 1972 तक रु० 21.39 करोड़ की शुद्ध धनराशि जमा हो चुकी है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक रु0 14.56 करोड़ की धनराशि जमा हुई थी।]

संस्थागत वित्त

जून, 1971 में वित्त विभाग के एक अनुभाग के रूप में संस्थागत वित्तीय विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का उद्देश्य आर्थिक कार्यक्रमों के अधिकतम क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित करना है और यह एक ओर देश के वित्तीय संस्थाओं के और दूसरी ओर विकास कार्यों से सम्बन्धित राज्य के विभिन्न संगठनों के बीच एक सहायक एजंट के रूप में कार्य करता है।

इस नीति के फलस्वरूप 31 दिसम्बर, 1971 तक वित्तीय संस्थाओं को 294 योजनायें वित्तीय सहायतार्थ भेजी गईं। इनमें से 157 योजनायें पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं जिनके अन्तर्गत राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध संसाधनों में 98.02 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई है। इस धनराशि का लगभग दो तिहाई भाग अर्थात् 66.25 करोड़ रुपये जून से दिसम्बर तक स्वीकृत हुए। संस्थागत वित्तीय स्रोतों द्वारा विनियोजन की इस प्रगति से स्पष्ट होगा कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए इस राज्य की आवश्यकताओं में काफी रुचि दिखलाना आरम्भ कर दिया है। इस दिशा में निरन्तर प्रयास जारी है और हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में संस्थागत वित्तीय स्रोतों से हम अधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

कृषीय क्षेत्र में कृषीय पुनर्वित्त निगम द्वारा 52.29 करोड़ रुपये की लागत की कुल 51 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिनमें 37.60 करोड़ रुपये की लागत की 47 अल्प सिंचाई की योजनायें, 6.22 करोड़ रुपये की लागत की 4 लाख मैट्रिक टन क्षमता की प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन की गोदाम निर्माण की एक योजना, 9.27 करोड़ रुपये की लागत की आई० बी० आर० डी० से पोषित तराई बीज योजना जो फार्म विकास तथा मशीनरी के लिये है, 30 लाख

रुपये की लागत की एक दुग्ध योजना और मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों के लिये 32 लाख रुपये की लागत की एक अंगूर उत्पादन योजना शामिल है।

कृषीय पुनर्वित्त निगम के पास 38.23 करोड़ रुपये की लागत की 38 योजनायें विचाराधीन हैं जिनमें 34.96 करोड़ रुपये की लागत की 32 अल्प सिंचाई योजनायें, 1.96 करोड़ रुपये की लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद तथा सरधना (जिला मेरठ) की दुग्ध योजनाएं और 1.57 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत की अल्मोड़ा तथा टेहरी गढ़वाल जिलों के लिये पर्वतीय फलोत्पादन योजना शामिल है।

1.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की दो गोदाम निर्माण योजनायें, कृषीय मशीनरी के लिए कस्टम सर्विस की एक योजना जिसकी अनुमानित लागत 4.50 करोड़ रुपये तथा 21.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की राज्य के 132 मंडियों के विकास की एक योजना कृषीय वित्तीय निगम लिमिटेड को प्रस्तुत की गई है।

इनके अतिरिक्त विश्व बैंक के विचारार्थ कृषि विभाग द्वारा अल्प सिंचाई, फार्म यंत्रीकरण, जल व्यवस्था, फलोत्पादन तथा दुग्ध विकास आदि की एक मिली जुली योजना लगभग 76 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की तैयार की गई है। इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कराने का प्रयास जारी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत् उत्पादन तथा प्रेषण की योजनाओं के लिये संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का भी अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है। अन्यान्य वित्तीय संस्थाओं को कुल 48 योजनायें 134.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की प्रस्तुत की गई हैं, जिनके समक्ष अब तक 38.67 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं।

पहले गृह निर्माण योजनाओं के लिये ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम से उपलब्ध होते थे और ऋण के प्रस्ताव तदनुसार भेजे जाते थे। परन्तु हाल में यह कार्य मुख्यतया हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेन्ट निगम (हडको) ने ले लिया है। हडको ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ तथा गाजियाबाद में गृह निर्माण योजनाओं के लिए 8 (आठ) करोड़ रुपया ऋण स्वीकृत किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने गाजियाबाद सुधार मण्डल तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की गृह निर्माण योजनाओं के लिये क्रमशः एक करोड़ रुपये तथा दो करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है।

2.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 21 पेय जल योजनाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने 2.16 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी है। 1.75 करोड़ की अन्य स्वीकृति, 2.28 करोड़ की अनुमानित लागत की 64 पेय जल योजनाओं के समक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त हुई है और शेष धनराशि की स्वीकृति भी शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। इनके अतिरिक्त 79.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 24 सीवरेज की योजनायें उक्त निगम के विचाराधीन हैं और इन्हें बजट वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

फरवरी, 1972 के प्रथम सप्ताह में मैंने राज्य के अर्थ-व्यवस्था के अन्यान्य क्षेत्रों में वित्तीय आवश्यकताओं के विषय में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के प्रमुखों के साथ बम्बई में विचार विमर्श किया। मुझे यह बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि सभी वित्तीय संस्थाओं ने हमारी आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और वित्तीय सहायता के लिये हमें कुछ उत्साहवर्द्धक आश्वासन दिये। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री टी० ए० पाई ने राज्य विद्युत् परिषद् की 22,000 नलकूपों की दस पूर्वी जिलों में विद्युतीकरण की योजना के प्रथम चरण के लिए 3 करोड़ रुपये का ऋण देने की स्वीकृति दी। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्राथमिकता शुल्क कम देना पड़ेगा। केवल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अपने जीवन का कम से कम 1,000 रु० (एक हजार रुपये) का बीमा कराना पड़ेगा। यह अपने ढंग की देश भर में एक नयी योजना है। उन्होंने सिद्धान्त रूप में यह भी स्वीकार किया कि वह हमारे इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे कि पेय जल योजनाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र में, बुन्देलखंड में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऋण का अनुपात 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 66 2/3 प्रतिशत कर दिया जाय। उन्होंने नगर महापालिकाओं द्वारा खुले बाजार से ऋण लेने पर जीवन बीमा निगम द्वारा उसमें भाग लेने के लिए भी सहमति दी। हमने आगामी वर्ष 1972-73 में राज्य विद्युत् परिषद् के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये की सहायता जीवन बीमा निगम से स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये 3 करोड़ रुपये तक का ऋण देने का वचन दिया है। नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु यह बैंक 5 करोड़ रुपये तक का ऋण देने पर भी विचार करेगा। हमने यह भी प्रस्ताव किया है कि यह बैंक अपने 'लीड' जिले गाजीपुर में गंगा नदी पर पुल के निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये का प्रारम्भिक ऋण पुल, निगम को दे। पंजाब नेशनल बैंक से भी बिजनौर एवं मुजफ्फरनगर जिलों को मिलाने वाली गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए एक करोड़ रु० वार्षिक ऋण देने का आग्रह किया गया है।

प्रस्तावित यू० पी० ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से आश्वासन मिला कि कम्पनी के रूप में कारपोरेशन को 30 सितम्बर, 1972 तक 50 लाख रु० तक की रिडिस्काउंटिंग की सुविधा और उसके बाद प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये तक की सुविधा वह देंगे। बसों तथा यन्त्रों आदि के क्रय के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक निगम की ज्वाइंट सर्वे टीम की उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार हो गयी बतलायी गयी है। आई० डी० बी० आई० की ओर से सम्बन्धित व्यक्तियों की एक बैठक शीघ्र ही इस विषय पर विचार करने के लिए आयोजित की जायेगी कि रिपोर्ट में बतलाये गये उद्योग स्थापित करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जायें। भारतीय रेलवे भी रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में निर्धारित अनुपात में शेयर लेगी।

बैंक आफ इंडिया ने राज्य विद्युत् परिषद् की कैश क्रेडिट सीमा 1.5 करोड़ रुपये तक निर्धारित करना स्वीकार कर लिया है। हमने यह सीमा 3 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यह बैंक अगले वर्ष में राज्य विद्युत् परिषद् के लिये 3 करोड़ रुपय का ऋण देने पर भी विचार करन के लिये तैयार है। इसके अलावा यूनाइटेड कामर्शियल बैंक से 5 करोड़ रु०, इलाहाबाद बैंक से 6 करोड़ रुपये एवं सिंडीकेट व कनारा बैंक से प्रदेश में 3—3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनियोजन की मांग की गयी है।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने कलैन्डर वर्ष 1972 में राज्य विद्युत् परिषद् को 4 करोड़ रु० ऋण देने का वचन दिया है। देना बैंक भी 50 लाख रु0 का ऋण देगा। बैंक आफ बड़ौदा ने भी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत् परिषद् को 6 करोड़ रु० तक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इनके अतिरिक्त यदि प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तो सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया राज्य विद्युत् परिषद् की तत्सम्बन्धी ओबरा एक्सटेंशन की थर्मल विद्युत् उत्पादन योजनाओं के लिए काफी मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों के समूह का नतृत्व करने को भी तैयार है।

राज्य सरकार के समर्थन से बैंक आफ इंडिया नामक राष्ट्रीयकृत बैंक, लखनऊ, उन्नाव आदि मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों के आर्थिक विकास व बचत-वृद्धि के लिए एक नये बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें 30 प्रतिशत शेयर बैंक आफ इंडिया, 30 प्रतिशत अन्य

बैंक, 10 प्रतिशत सहकारी बैंक, 10 प्रतिशत राज्य सरकार व शेष 20 प्रतिशत सम्बन्धित जिलों के निवासी खरीद सकेंगे। यह नया बैंक डा० गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सम्बन्धित जिलों के विकास के बुनियादी ढांचे निर्मित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जायगा। फिलहाल इस बैंक का नाम "गोमती भागीरथी" बैंक सुझाया गया है।

यह कहने की कदाचित आवश्यकता नहीं कि वचनबद्ध वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठायेगी और अन्य स्रोतों की तलाश भी बराबर जारी रहेगी। इस अभिप्राय की पूर्ति के लिए संस्थागत वित्त विभाग को एक निदेशालय के रूप में परिवर्तित करने का विचार है ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य में तीव्रता से प्रगति हो सके। यह निदेशालय सभी योजनायें बनाने का भी दायित्व अपने हाथ में लेगा।

संसाधन

जैसा मैं बता चुका हूं योजना आयोग ने 1972-73 की वार्षिक योजना का आकार 225.28 करोड़ रुपया निर्धारित किया है। इसके लिए योजना आयोग ने केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल 102.04 करोड़ रु0 का आवंटन किया है, जब कि पूरी चौथी योजना के लिए 526 करोड़ रुपये की आवंटित केन्द्रीय सहायता व पिछले योजना वर्षों के आवंटनों को ध्यान में रखते हुए यह सहायता लगभग 116 करोड़ रु० होनी चाहिए थी। इस कमी का एक कारण बंगला देश को भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता से उत्पन्न भारी आर्थिक बोझा बताया गया, जिससे कि केन्द्र को सभी राज्यों की दी जाने वाली सहायता में समान कटौती करनी पड़ी। हमारे द्वारा बार-बार जोर देने पर इस वर्ष राज्य द्वारा लिये जाने वाले बाजार ऋण में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 5 करोड़ रुपये की स्वागत-योग्य वृद्धि तो की गई है, लेकिन यह बाजार में प्रदेश को उपलब्ध हो सकने वाले ऋण की क्षमता, उत्तर प्रदेश में बैंकों के बढ़ते हुए डिपोजिटों से उत्पन्न सम्भावनाओं व अन्य राज्यों के लिए स्वीकृत बाजार ऋणों की तुलना में अब भी बहुत कम है। हमारे विचार से हमें इस वर्ष 30 करोड़ रु० के बाजार ऋण की अनुमति मिलनी चाहिये थी। केन्द्रीय सरकार कई राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले ओवरड्राफ्टों की समस्या से बड़ी चिन्तित हैं। उत्तर प्रदेश ने इस समस्या के समाधान में केन्द्र की निरन्तर सहायता की है, पर हमें वित्तीय अनुशासन रखने का कोई निश्चित लाभ नहीं मिला। हमने यह मांग की है कि बाजार ऋण के राज्य क्षेत्र के एक निश्चित संसाधन होने के कारण इसका वार्षिक आवंटन भी उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिए जिसके अनुसार केन्द्र राज्यों की आयोजनागत सहायता देता है। केन्द्र ने हमें यह आश्वासन दिया है कि इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् (नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल) में विचार होगा।

1972–73 के लिए बजट अनुमान तथा घाटे की आंशिक पूर्ति

अगले वित्तीय वर्ष 1972-73 में राजस्व और पूंजी पक्षों को मिलाकर कुल प्राप्तियां 649.17 करोड़ रुपये अनुमानित है। इनमें 509.90 करोड़ रु० राजस्व प्राप्तियां तथा 139.27 करोड़ रु० पूंजी पक्ष (ऋण पक्ष को मिलाकर) की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। उपरोक्त राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान के 61.09 करोड़ रु0 शामिल हैं जिसमें 32.33 करोड़ रु० आयोजनागत योजनाओं के लिये, 21.98 करोड़ रु0 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये और 6.78 करोड़ रु0 आयोजनेतर आयोजनाओं के लिये हैं।

राजस्व व्यय का अनुमान 528.04 करोड़ रु० है जिसमें 57.19 करोड़ रु० आयोजनागत योजनाओं के लिये है। पूंजी व्यय 181.81 करोड़ रु० अनुमानित है, जिसमें 149.72 करोड़ रु० आयोजनागत योजनाओं के लिये, 1.36 करोड़ रु० केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिय है। अतः कुल अनुमानित व्यय कुल अनुमानित प्राप्तियों से 60.68

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

करोड़ रु० अधिक है। आंशिक घाटे को पूरा करने के लिये ग्रामीण विकास निधि से 6 करोड़ रु० प्राप्त किया जायगा। विदेशी शराब की दुकानों को नीलाम करने से 50 लाख रु० प्राप्ति की आशा है। पहले से लगे हुए कर-राजस्व को कड़ाई से वसूल करने का अभियान चलाया जायगा, जिसके परिणाम स्वरूप 6 करोड़ रु० की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। शेष 48.18 करोड़ रु० का घाटा आंशिक रूप से लोक लेखा के अन्तर्गत 16.79 करोड़ रु0 क शुद्ध प्राप्तियों से (जिसमें रिजर्व से निकालना सम्मिलित है) पूरा होगा। इस प्रकार 1972-73 में 31.39 करोड़ रु० का घाटा रह जाता है जिसकी पूर्ति के लिये अभी मैं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

आर्थिक योजना क्रम स्वभावतः एक लम्बी और निरन्तर कार्यान्वियन की कार्य-प्रणाली है, विशेषतया एक कम विकसित देश के लिये। यद्यपि हमें अभी काफी फासला तय करना है, फिर भी अब तक के परिणाम हम सब के लिये सन्तोष का विषय होना चाहिये। संसार के मान्य विशेषज्ञ भी सामान्यतया हमारे बहुमुखी विकास से प्रभावित हुए हैं। परन्तु हमारे प्रयासों में कोई ढील नहीं आनी चाहिये। आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पावन कार्य में सब वर्गों का हार्दिक सहयोग आवश्यक है।

बजट सरकारी नीतियों के कार्यान्वित करने का एक माध्यम अवश्य है पर इसके वर्तमान स्वरूप के निखार में मेरी पार्टी ही नहीं वरन् प्रतिपक्ष में बैठे हुए विभिन्न दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दर असल, बजट एक अवधि के आर्थिक प्रवाह का वार्षिक अनुशीलन है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा भाग पहले से चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के वित्त पोषण में प्रयुक्त होता है। अतः मुझे आशा है कि सम्मानित सदस्य इस बजट को पारित कर इसके सम्पूर्ण कार्यान्वियन में अपना हार्दिक योगदान देंगे।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री भरत नारायण को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस बजट के तैयार करने में बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं वित्त विभाग के विशेष सचिव, श्री पी० सी० जैन, संयुक्त सचिव, श्री एस० रमेश तथा बजट अधिकारी, श्री एस० के० गोयल को भी धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट तैयार तथा संकलित करने के काम में सहायता दी। मैं भाषा तथा सूचना विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक, संयुक्त अधीक्षक तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंन दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, मैं वर्ष 1972-73 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को 203 क्रम संख्या तक बजट साहित्य इस लाबी में उपलब्ध हो जायगा और 204 से लकर उस लाबी में मिल जायेगा।

1972-73 का लेखानुदान

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 1972-73 के लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

सदन की बैठक न बुलाकर अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय को अधिकार दिया गया है कि वह लेजिस्लेटिव पावर का ऐसी स्थिति में प्रयोग करें जब सदन न बुला सकें या आकस्मिक घटना हो या संकटकालीन स्थिति हो। सदन का यह पारित प्रस्ताव था कि सदन 90 दिन तक वर्ष में चलेगा। लेकिन सदन को नहीं बुलाया गया। कभी भी इतने थोड़े समय में 9 अध्यादेश जारी नहीं किये गये। इससे इसकी अधिनायकवाद प्रवृत्ति का पता चलता है। कौन सी ऐसी बात थी जो आपने विधान सभा को नहीं बुलाया। यह मदांध हो गये हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी 3–4 मर्तबा ऐसा हुआ कि कोरम के अभाव में उसको स्थगित करना पड़ा। यह उनकी मदांधता है। यही कारण है कि विधान सभा को यहां नहीं बुलाया गया और अध्यादेश जारी किये गये। यह इनकी अधिनायकवाद प्रवृत्ति का परिचायक है। ऐसी यदि चलता रहा तो जो प्रतिद्वंदी हैं उनको यह लोग पैसा देकर खरीद लेंगे। इसलिये इनके विरोध में हम लोग 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जनसंघ दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1971†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, 1972†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

नियोजन उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

नियोजन उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1972†

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को सदन के पटल पर रखता हूं।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972†

परिवहन उप मन्त्री (श्री आबिद अली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका शिक्षा सेवा नियमावली, 1971*

शिक्षा उप मन्त्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या क–1–62–15–1701–(1)-68, दिनांक 28 अक्तूबर, 1971 ई० के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका शिक्षा सेवा नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन†

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1969-70 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 615-ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

*छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972†

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या 453(वि)/36–5–529(वि)–71, दिनांक 12 जनवरी, 1972 के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1972 तथा उसमें जारी किये गये शुद्धि पत्र संख्या 386 (वि)/36–5–529(वि)–71, दिनांक 23 फरवरी, 1972 को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 49 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 जनवरी, 1972 की बठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 2रा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि :—

"उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा नें अपने दिनांक 3 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय कि अनुमति दिनांक 19 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 3रा अधिनियम बन गया।"

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधयक, 1971 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 के उपनिवशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 4था अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 1972 की बठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 5वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971

सचिव विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का 7वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 मई, 1970

की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति 17 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 8वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971

सचिव विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1971 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 9वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 10वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश दिनांक 11 जनवरी, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 9 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् न अपनी दिनांक 5 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति 9 फरवरी, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 21 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 8 मार्च, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया ।

सदन के कार्यक्रम में किये गये परिवर्तन के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

जो विधान सभा का कार्यक्रम शासन से प्राप्त हुआ था वह छपाकर आप को वितरित कर दिया है किन्तु उस में विभिन्न दलों से परामर्श कर के मैंने यह निर्णय लिया है कि उसमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया जाय:—

21 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद उस पर विचार कब होगा इसका निर्णय कल सुबह कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में होगा किन्तु 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 1971-72 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मागों पर मतदान और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन का अनुज्ञा से पुरः-स्थापन, उस पर विचार एवं उस का पारण किया जायगा तथा वित्तीय वर्ष 1972-73 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विधेयक का, सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उस का पारण किया जायगा और दिनांक 24 मार्च, 1972 को विधान सभा का उपवेशन नहीं होगा ।

कतिपय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये 'लोक लेखा समिति' के लिये 21 सदस्य, "प्राक्कलन समिति" के लिये 25 सदस्य तथा 25 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16—16 सदस्यों के निर्वाचनार्थ माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया है:—

(1) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय—सोमवार 3 अप्रैल, 1972 के अपराह्न 3 बज तक ।

(2) नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म पर परीक्षा की तिथि तथा समय—मंगलवार 4 अप्रैल, 1972 को 5 बजे से (सचिव, विधान सभा के कमरे में)

(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—मंगलवार, 11 अप्रैल, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक।

(4) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो:—

(क) प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के लिये गुरुवार, 13 अप्रैल, 1972 के दिन के 12 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय में होगा, और

(ख) 25 स्थायी समितियों के लिये उक्त स्थान तथा समय पर शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1972 को होगा ।

उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा किया जायगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
20 मार्च, 1972।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबन्ध 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 6 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को उनके 20 मार्च, 1972 से प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डाक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी का अभिभाषण ।

विधान मण्डल के सदस्यगण,

इस वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है। गत वर्ष ऐसे ही अवसर पर जब मैंने आपको सम्बोधित किया था उसके बाद से घटनाचक्र जिस तेजी से चला, उसके कारण जो कठिनाइयां हमारे सामने आयीं उनसे आप भलीभांति परिचित हैं व पिछले सत्रों में उन पर विचार करने का आपको अवसर भी मिला है। प्रधान मन्त्री के महान नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं न अपन शौर्य व सैन्य कुशलता व उत्कट देश भक्ति के साथ व जनता के पूर्ण सहयोग से उन कठिनाइयों का सफलता से सामना किया। उसके परिणाम-स्वरूप इस उप महाद्वीप में एक नये राष्ट्र 'बंगला देश' का अभ्युदय हुआ। हमारी विजय ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया है। इससे जनता का मनोबल ऊंचा हुआ है तथा जन-मानस म स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता की भावना सुदृढ़ हुई है। साथ ही विदेशी सहायता पर निर्भरता को दूर करने तथा आर्थिक स्वराज की ओर प्रदेश को ले जाने का सरकार तथा जनता दोनों का उत्तरदायित्व भी बढ़ा है।

गत वर्ष में बाढ़ों एवं सूखे को बावजूद हमारे कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है और गेहूं ही नहीं बल्कि चावल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

सरकार की नीति एक ओर खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाकर उन्हें उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना तथा दूसरी ओर किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना तथा शोषण से बचाना है जिससे उनका उत्पादन की वृद्धि में उत्साह बना रहे। इस के लिए एक ओर तो गेहूं तथा खरीफ के मोटे अनाजों की खरीदारी सरकारी अथवा सह-कारी संस्थाओं द्वारा संरक्षण मूल्य पर की जाती रही है और उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करन के लिये कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। उनमें विशेष रुप से राज्य-स्तर पर एक खाद्य निगम की स्थापना के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर खाद्यान्नों के संग्रह के लिए आधुनिक ढंग के नये गोदामों का निर्माण किया जा रहा है जिसे और बढ़ाया जायगा। आलू तथा अन्य खेती की उपज के लिए कोल्ड स्टोरेजों के भाड़े की दरों के नियन्त्रण के लिए भी सरकार ने एक आदेश हाल ही में जारी किया है। सहकारी क्षेत्र में भी कोल्ड स्टोरेजों का विस्तार किया जा रहा है। सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए जैसे चीनी, वनस्पति, मिट्टी का तेल आदि का वितरण उचित मूल्य पर किया जा रहा है, ताकि इन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। दूध के उत्पादन में विशेष वृद्धि करके 'श्वेत क्रांति' लाने का प्रयास सहकारी क्षेत्र में किया जा रहा है।

राज्य में सिंचाई योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उस दिशा में प्र-गति, योजना के लक्ष्य से भी आगे बढ़ गयी है। प्रदेश में उपलब्ध जल सन्साधनों के मूल्यांकन एवं प्रदेश की सिंचाई समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सिंचाई आयोग भी गठित किया गया है ।

कृषि प्रधान इस प्रदेश में यह आवश्यक है कि उद्योगों में अधिक से अधिक लोगों को रोज-गार देकर भूमि पर भार को हल्का किया जाये। हाल ही में एक ओर तो केन्द्रीय पब्लिक

सेक्टर में कुछ बड़े उद्योग प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों तथा उसके द्वारा दी गयी विशेष सुविधाओं के कारण प्रदेश को प्राप्त होने वाले औद्योगिक लाइसेन्सों में प्रगति हुई है। यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ज्वाइंट सेक्टर में आठ नये कारखाने लगाने के लिये लेटर्स आफ इन्टेन्ट प्राप्त कर चुका है। इनमें से अल्मोड़ा मैंगनेसाइट, का कार्य प्रारम्भ हो गया है और आगामी अगस्त तक कारखाना चालू होने की आशा है।

चीनी निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है और पांच चीनी मिलें निगम द्वारा चलायी जा रही हैं व कुछ अन्य मिलों का, जिनका अर्जन पिछली जुलाई में किया गया था, मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। किच्छा चीनी फैक्टरी भी इसी निगम के माध्यम से चलाई जायेगी और उसमें अगले वर्ष उत्पादन प्रारम्भ हो सके, इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें लगाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं तथा चीनी मिलों के निजी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रयास बराबर जारी है।

राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क तथा राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, डल्ला को अधिक सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य मे तथा अन्य सीमेन्ट फैक्टरियों की स्थापना के लिये एक सीमेन्ट निगम स्थापित की जा रही है। इंडियन टरपेंटाइन तथा रोजिन फैक्टरी में जापानी सहयोग से रबर इमल्सिफायर का उत्पादन किया जायेगा। कानपुर तथा आगरा में इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रियल एस्टेट बनाई जा रही हैं।

औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की गति तेज करने की दृष्टि से सरकार इस राज्य में प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० "(पिकअप)", जो एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में काम करेगा, की स्थापना करने जा रही है। यह निगम क्रेडिट संस्थाओं को, जो ऋण वह मध्यम उद्योगों को देगी, उसकी गारन्टी देगा। चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन ने पांच अन्य जिलों में अपनी शाखाएं भी खोली हैं।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए पिछड़े हुए जिलों में सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु उदार वित्तीय सहायता तथा भूमि आदि की व्यवस्था की जा रही है। बलिया, बस्ती, फतेहपुर तथा गाजीपुर जिलों में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलकर उद्योग लगाये जायेंगे, जो प्रत्येक साढ़े सात लाख रुपये तक की लागत का होगा। तकनीकी व्यक्तियों को पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसमें मार्जिन को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही, पिछड़े हुये जिलों में पानी, बिजली व सड़कों की भी व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

पहाड़ी तथा मिर्जापुर एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में तांबा, निकल, बौक्साइट इत्यादि खनिजों की खोज का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रहा है।

यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश में औद्योगिक शांति कायम रही है। राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर श्रमिकों को निलम्बन की अवधि में निलम्बन भत्ता देने के आदेश जारी किये गये हैं। पांच या उससे अधिक सेवायोजियों वाली दुकानों के कर्मचारियों के लिये ग्रेचुइटी की व्यवस्था आठ बड़े नगरों में की गयी है तथा फैक्ट्रियों और मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही व्यवस्था प्रदेश भर में लागू की गयी है। प्रदेश भर की चीनी मिलों तथा कानपुर की टैक्सटाइल मिलों में न्यूनतम बोनस से एक प्रतिशत अधिक बोनस दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। चौथी योजना के दौरान बिजली उत्पादन की क्षमता तेरह सौ दस मेगावाट से बढ़कर अठारह सौ सत्ताईस मेगावाट हो जायेगी। निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों के विद्युतीकरण हेतु एक विशेष योजना के आधार पर, जो देश भर में सर्वप्रथम है, इस वर्ष राज्य विद्युत् परिषद् ने जीवन बीमा निगम से तीन करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की है। इस ऋण योजना के अन्तर्गत छः हजार निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों को बिजली देने की योजना दस जिलों में बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को अपने जीवन का कम से कम एक हजार रुपये का बीमा कराना पड़ेगा, और इस पर, वाणिज्य योजना के अन्तर्गत उक्त उपभोक्ता को प्राथमिकता दी जायेगी। इस वर्ष जनवरी से निजी नलकूप एवं पम्पिंग सेट पर लगायी गयी मिनिमम गारन्टी को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। साथ-साथ, प्रथम जनवरी से निजी व्यक्तियों से चोरी जाने वाले ट्रांसफार्मरों को राज्य विद्युत् परिषद् अपने खर्चे से बदलेगा। यह दोनों निर्णय किसानों के हित में लिये गये हैं।

वनों के विकास कार्यों की कई योजनाएं चालू की गयी हैं। तेंदू पत्तों का व्यापार भी सरकार अपने हाथ में एक अध्यादेश द्वारा ले लिया है। इससे किसानों को उचित मूल्य तथा मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सकेगी।

अधिक पक्की सड़कों के निर्माण-कार्य के अतिरिक्त, ग्रामीण रोजगार की नई स्कीम के अधीन भी सड़क निर्माण के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। प्रदेश में अधिक से अधिक पुलों के निर्माण कराने के लिए सरकार एक पुल निगम भी स्थापित कर रही है।

रोडवेज के परिचालन के लिए सड़क परिवहन निगम की स्थापना शीघ्र की जा रही है, जिससे परिवहन सेवाओं में उचित वृद्धि सम्भव हो सके। बसों के परमिट, ट्रकों के परमिटों की भांति, सभी उपयुक्त आवेदकों को दिये जा सकें, ऐसी व्यवस्था एक अध्यादेश द्वारा की गयी है।

सरकार ने जौनपुर की पालीटेकनिक वर्कशाप का, जो अब तक बन्द पड़ा था, कृषि यन्त्रों के उत्पादन के लिए कृषि विभाग को हस्तान्तरण करने का निश्चय किया है। इससे पूर्वी प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचेगा।

डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों को सुलझाने के लिए व उन पर शीघ्रता से निर्णय हो सके, जिससे उनका कार्य सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए सचिवालय स्तर पर प्रबन्ध किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए पौड़ी तथा कोटद्वार में राजकीय डिग्री कालेज खोले गये हैं। शिक्षा को रोजगार की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिये सुल्तानपुर जिले में एक पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है।

प्राथमिक शिक्षा तथा जूनियर हाई स्कूलों को अधिक उपयोगी और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार उनके संचालन और नियन्त्रण का सम्पूर्ण भार अपने ऊपर लेने जा रही है।

उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जहां चिकित्सा की सुविधायें अभी उपलब्ध नहीं हैं, चालू वर्ष में ग्यारह मोबाइल अस्पताल स्वीकृत किये गये हैं, जो उन क्षेत्रों में जाकर वहां की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र के लिये दो सौ एलोपैथिक औषधालय, पच्चीस आयुर्वेदिक औषधालय तथा बीस होम्योपैथिक औषधालय खोले जायेंगे इसके अतिरिक्त प्रदेश में बच्चों के दो अस्पताल और दातों के सात अस्पताल भी खोलने का निर्णय लिया गया है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी प्रगति जारी है।

विकलांग सैनिकों तथा गैर-सैनिकों के लिए नकली अंग लगाने के वास्ते सरकार ने एक आर्टिफिशिएल लिम्ब सेंटर, लखनऊ में खोलने का निश्चय किया है।

अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए खीरी के वन क्षेत्र तथा कालसी (देहरादून) में दो क्षेत्रीय प्रायोजनायें चालू की गयी हैं अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिये पांच हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ऋण देने की एक नई योजना इस वर्ष चलाई जा रही है। राज्य की सेवाओं में चयन प्रणाली द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में भी अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। राज्य की सेवाओं में इन जातियों के व्यक्तियों की पर्याप्त भरती हो, इस बात की देख-रेख के लिए सरकार ने एक सेल भी स्थापित की है।

राज्य की जटिल आवास व्यवस्था को हल करने के लिये अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। रिवाल्विंग फण्ड योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की योजना भारत सरकार के हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन को भेजी गयी है, जिसने गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की योजना तो स्वीकृत कर दी है, और शेष अन्य निकायों की योजनाएं उसके विचाराधीन हैं। जीवन बीमा निगम ने भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को दो करोड़ रुपया ऋण देने की स्वीकृति दी है।

प्रदेश में पीने के पानी की सप्लाई तथा सिवरेज सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने के हेतु एक परिषद् की स्थापना शीघ्र की जायेगी।

गांव पंचायतों के सामान्य चुनाव इस वर्ष जनवरी, फरवरी में किये जाने थे, परन्तु देश में संकटकालीन स्थिति के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा। अब आगामी मई में, इन चुनावों को कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, पंचायत राज संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उनके गठन, कृत्यों तथा अधिकारों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार के लिए सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है।

प्रदेश में बन्दोबस्त कराने तथा मालगुजारी की विषमता को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक भी आपके सामने आयेगा।

सभी भूमि सम्बन्धी कानूनों को आवश्यक संशोधनों के साथ मिलाकर एक राजस्व संहिता बनाने हेतु सरकार ने एक समिति बनाई थी। वह एक राजस्व संहिता विधेयक पर विचार कर रही है और उसे अन्तिम रूप देकर आपके सामने शीघ्र प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है।

गांवों में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए मकानों की समस्या को हल करने के लिए गत वर्ष एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, उसके अनुसार गांव सभाओं में निहित आबादी भूमि के आवंटन का कार्य हो रहा है। इसका अनुपालन किस सीमा तक हुआ है और इससे इन जातियों के सदस्यों की आबादी सम्बन्धी आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति हुई है, इसका अध्ययन करने तथा भूमि सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार ने एक भूमि व्यवस्था जांच समिति भी बनाई है।

सरकार का यह भी विचार है कि शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए एक विधेयक आपके सामने इसी सत्र में प्रस्तुत करे। अधिकतम जोत सम्बन्धी अधिनियम में भी निर्धारित सीमा को कम करने तथा अन्य आवश्यक संशोधनों के लिए एक विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करने का विचार है।

चकबन्दी का कार्य उन्नीस जिलों में लगभग समाप्त हो गया है और बुन्देलखण्ड के दो जिलों को छोड़कर शेष सभी मैदानी जिलों में चल रहा है।

सरकारी पदों पर नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की और आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यताओं में शिथिलता की व्यवस्था की गई है। वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के लिए राज्य सरकार के खर्चे पर सेना के सहयोग से मकान बनाने का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि इस प्रदेश के दो सैनिकों को महावीर चक्र तथा छब्बीस को वीर चक्र हाल के युद्ध में प्राप्त हुये हैं। सरकार ने प्रत्येक महावीर चक्र विजेता को साढ़े सात हजार तथा वीर चक्र विजेता को तीन हजार रुपये का पुरस्कार स्वीकृत किया है। उत्तर प्रदेश नगर महापालिक अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जायगा जिसके द्वारा यह व्यवस्था की जायगी कि वीरगति पाने वाले सैनिकों के परिवारों तथा विकलांग सैनिकों को महापालिकाओं की भूमि तथा मकान मुफ्त अथवा सस्ते मूल्य पर दिये जा सकें।

यह सन्तोष का विषय है कि प्रदेश में आमतौर पर शांति और व्यवस्था सामान्य रही है। नागरिक सुरक्षा संगठन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तथा होमगार्ड संगठन को भी भारत सरकार के प्रारूप के अनुरूप लाने के उद्देश्य से उनके पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।

मैंने केवल मुख्य बातों की ओर ही आपका ध्यान आकृष्ट किया है। सरकार की विभिन्न कार्यवाहियों का विस्तार से उल्लेख अभी कुछ घंटे बाद आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मन्त्री आप के समक्ष करेंगे। इस सत्र में मुख्य रूप से वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुपूरक अनुदानों तथा आगामी वर्ष के बजट पर आप को विचार करना है। साथ ही कुछ आवश्यक विधायी कार्य भी पूरा करने की आप से अपेक्षा की जायेगी, जिनमें से कुछ तो उन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए होंगे जिन्हें मैंने, जब विधान मण्डल सत्र में नहीं था, प्रख्यापित किया है और कुछ अन्य का मैंने संकेत किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के विकास में गति लाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भी सरकार को आप का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

अन्त में मुझे पूर्ण आशा है कि सदन के बाहर और भीतर आप सदन के गौरव और गणतांत्रिक परम्पराओं को बनाये रखेंगे तथा जनता के हित को, जिसने आप को अपना प्रतिनिधि चुना है, सर्वोपरि रखेंगे।

जय हिन्द !

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 39 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची :—

(1) खण्ड 26 के उपखण्ड (2) की पंक्ति 2 में शब्द "संविधा" के स्थान पर शब्द "संविदा" रख दिया गया है ।

(2) खण्ड 43 के उपखंड 2 (त) की—

(क) पंक्ति 2 में शब्द "जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया गया है।

(ख) पंक्ति 8 में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया गया है।

———

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 7 एल० ए०—1972—845 ।